

PRGI No. GUJHIN/2011/39228

गरवी गुजरात

PUBLISHED HINDI DAILY FROM AHMEDABAD, SURAT, LUCKNOW

वर्ष : 16
अंक : 196
दि. 17.11.2026,
मंगलवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा
AHMEDABAD EDITION

विरासत की अनदेखी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा- किताबों का कुछ तो सम्मान कीजिए

नई दिल्ली। विकास की योजनाएं किसी भी देश की प्रगति का आधार होती हैं, लेकिन जब विकास के नाम पर ऐतिहासिक धरोहरों और ज्ञान की विरासत की अनदेखी होने लगे तो सवाल उठना स्वाभाविक है। राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत 135 साल पुराने केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को दूसरी जगह स्थानांतरित करने की योजना ने इसी सवाल को फिर खड़ा कर दिया है। इस पुस्तकालय में मौजूद करीब 8.5 लाख किताबों के संरक्षण, रखरखाव और सुरक्षित स्थानांतरण को लेकर पर्याप्त तैयारी नहीं होने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी जताते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को इन पुस्तकों की कोई परवाह नहीं है। ये केवल कागज के पन्ने नहीं, बल्कि देश की बौद्धिक और ऐतिहासिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कम से कम किताबों का कुछ तो सम्मान किया जाना चाहिए।

सोमवार को जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस संजीव सचदेवा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से पुस्तकालय की किताबों को स्थानांतरित करने की पूरी योजना पर सवाल किए। पीठ ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में पुस्तकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की प्रक्रिया जल्दबाजी में पूरी करने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनके संरक्षण और व्यवस्थित रखरखाव के लिए कोई ठोस योजना दिखाई नहीं दे रही। जस्टिस संजय कुमार ने अधिकारियों से पूछा कि आखिर इन किताबों के साथ क्या किया जाना है और इन्हें सुरक्षित रखने के लिए क्या व्यवस्था की गई है। उन्होंने चिंता जताई कि जिस तरह से पूरी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है, उससे इन ऐतिहासिक पुस्तकों के नष्ट होने या खराब होने का खतरा पैदा हो सकता है।

सुनवाई के दौरान पीठ की नाराजगी उस समय और स्पष्ट हो गई, जब जस्टिस कुमार ने कहा कि यदि सरकार इन किताबों को अपने पास नहीं रखना चाहती तो इन्हें किसी दूसरे देश को दे दिया जाए, जहां इनकी देखभाल हो सके और इनके ऐतिहासिक महत्व को समझा जाए। अदालत की इस टिप्पणी का आशय यह था कि पुस्तकों जैसी अमूल्य धरोहर को केवल स्थान की समस्या बताकर उपेक्षित नहीं किया जा सकता। करीब साढ़े आठ लाख पुस्तकों का संग्रह किसी भी संस्थान के लिए सामान्य संपत्ति नहीं, बल्कि पीढ़ियों से संजोया गया ज्ञान का भंडार है। ऐसे में इनके संरक्षण की जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता।

अगली सुनवाई तक स्थानांतरण पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्र सरकार को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय की



किताबों को वर्तमान स्थान से हटाया नहीं जाए। अदालत ने इस संबंध में स्पष्ट कर दिया कि जब तक पुस्तकालय के लिए प्रस्तावित नई जगह और वहां उपलब्ध सुविधाओं की स्थिति पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो जाती, तब तक पुस्तकों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जाए। मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की गई है। इस निर्देश से फिलहाल उन लाखों पुस्तकों को स्थानांतरित किए जाने पर रोक लग गई है, जिनके भविष्य को लेकर अदालत ने गंभीर चिंता जताई है।

यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई के लिए उठाया है। अदालत के समक्ष मुख्य सवाल यह है कि सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के तहत शास्त्री भवन को हटाए जाने के बाद पुस्तकालय की इतनी बड़ी संख्या में मौजूद पुस्तकों को कहां और किस तरह सुरक्षित रखा जाएगा। पुस्तकालय के लिए नई जगह पर्याप्त होगी या नहीं, वहां पुस्तकों की अलमारियों, पाठकों के बैठने, अध्ययन और अन्य आवश्यक सुविधाओं की क्या व्यवस्था होगी, इन सभी पहलुओं पर केंद्र से स्पष्ट जानकारी मांगी गई है।

आरके पुरम में दो लाख किताबों की खराब हालत ने बढ़ाई चिंता

सुनवाई के दौरान न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रिया पद्मनाभन ने अदालत का ध्यान पुस्तकालय की उन करीब दो लाख पुस्तकों की ओर भी दिलाया, जो पिछले लगभग 15 वर्षों से दिल्ली के आरके पुरम स्थित एक स्थान पर रखी हुई हैं। उन्होंने बताया कि इन पुस्तकों की हालत बेहद खराब हो चुकी है। लंबे समय से उचित रखरखाव और देखभाल नहीं होने के कारण इनके संरक्षण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। उन्होंने अदालत को बताया कि नवंबर तक पुस्तकों को स्थानांतरित करने की जल्दबाजी दिखाई जा रही है, जबकि नई जगह पर उपलब्ध स्थान और वहां की व्यवस्थाओं को लेकर पर्याप्त जानकारी सामने नहीं आई है। न्याय मित्र ने अदालत से आग्रह किया कि केंद्र सरकार से यह स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि वर्तमान पुस्तकालय में पुस्तकों की अलमारियों के लिए कितनी जगह इस्तेमाल की जा रही है और प्रस्तावित नए परिसर में कितनी जगह उपलब्ध कराई जाएगी। दोनों स्थानों के क्षेत्रफल और सुविधाओं की तुलना किए बिना स्थानांतरण का निर्णय लेना उचित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सरकार को यह भी बताना चाहिए कि नई जगह पर सभी पुस्तकों को व्यवस्थित तरीके से रखने की क्षमता है या नहीं। केवल जगह आवंटित कर देना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पुस्तकों की सुरक्षा, तापमान, नमी, प्रकाश और रखरखाव जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी ध्यान देना होगा।

केंद्र ने तुलसी सदन की पुस्तकों का दिया हवाला

केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी अदालत में पेश हुईं। उन्होंने आरके पुरम में रखी पुस्तकों के संबंध में बताया कि ये किताबें तुलसी सदन पुस्तकालय से लाई गई थीं। इस पर अदालत ने न्याय मित्र से कहा कि वह इस बात की जांच करें कि इन पुस्तकों पर केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का टैग लगा हुआ है या नहीं। अदालत इस पूरे मामले में पुस्तकों की वास्तविक स्थिति और उनके स्रोत को भी स्पष्ट करना चाहती है, ताकि यह पता चल सके कि अलग-अलग स्थानों पर रखे गए संग्रह का प्रबंधन किस तरह किया जा रहा है।

दलीलें सुनने के बाद पीठ ने केंद्र सरकार से साफ कहा कि फिलहाल किताबों को स्थानांतरित नहीं किया जाए। जस्टिस कुमार ने ऐश्वर्या भाटी से स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार पुस्तकों को अगली सुनवाई तक नहीं हटाएगी। उन्होंने दोबारा जोर देकर कहा कि सरकार को किताबों के प्रति सम्मान दिखाना चाहिए। अदालत की यह टिप्पणी केवल स्थानांतरण की प्रक्रिया तक सीमित नहीं थी, बल्कि यह भी संकेत देती है कि ऐतिहासिक और ज्ञान संबंधी धरोहरों के संरक्षण को सरकारी परियोजनाओं में उचित प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

नई जगह के क्षेत्रफल को लेकर पहले भी उठे थे सवाल

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय को स्थानांतरित करने का मामला पहली बार अदालत के सामने नहीं आया है। इससे पहले पांच अक्टूबर को भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पुस्तकालय के भविष्य और नई जगह पर उपलब्ध सुविधाओं को लेकर जवाब मांगा था। उस समय अदालत ने पुस्तकालय के लिए प्रस्तावित स्थान का वास्तविक लेआउट प्लान पेश करने को कहा था। साथ ही यह भी जानना चाहा था कि नए परिसर में पुस्तकालय को कितनी जगह आवंटित की जाएगी और क्या वहां मौजूदा संग्रह को सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध होगा।

यह सवाल उन खबरों के बाद उठा था, जिनमें दावा किया गया था कि सेंट्रल विस्टा की नई योजना में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय के लिए पर्याप्त जगह निर्धारित नहीं की गई है। अदालत ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर स्थानांतरण की योजना पर जवाब मांगा था। सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से बताया गया था कि पुस्तकालय का वर्तमान क्षेत्रफल लगभग 4,144 वर्ग मीटर है, जबकि नई जगह पर इसके लिए करीब 5,200 वर्ग मीटर क्षेत्र उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।

हालांकि, अदालत केवल क्षेत्रफल के आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हुई। पीठ ने कहा था कि सरकार हलफनामा दाखिल कर यह स्पष्ट करे कि नई जगह पुस्तकालय की सभी पुस्तकों को रखने के लिए पर्याप्त होगी या नहीं। इसमें शास्त्री भवन में मौजूद पुस्तकों के साथ-साथ आरके पुरम में डिब्बों में बंद रखी गई किताबों को भी शामिल करने को कहा गया था। बताया गया कि आरके पुरम में रखे इन पुस्तकों के डिब्बे वर्ष 2011 से नहीं खोले गए हैं। इतने लंबे समय तक बंद पड़े रहने के कारण उनके संरक्षण और वास्तविक स्थिति को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

हलफनामा दाखिल, लेकिन अदालत के रिकॉर्ड में शामिल नहीं

सोमवार की सुनवाई में अदालत को बताया गया कि केंद्र सरकार ने पुस्तकालय के स्थानांतरण और उससे जुड़ी व्यवस्थाओं को लेकर उसी दिन हलफनामा दाखिल किया है। हालांकि, सुनवाई के समय यह हलफनामा अदालत के आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं हुआ था। ऐसे में पीठ के सामने सरकार की ओर से दी गई नई जानकारी का पूरा विवरण उपलब्ध नहीं था। अब अगली सुनवाई में इस हलफनामे और न्याय मित्र की ओर से प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी के आधार पर मामले को आगे बढ़ाया जाएगा।

केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का मामला अब केवल एक सरकारी भवन को खाली कराने या पुस्तकों को दूसरी जगह पहुंचाने का प्रशासनिक विषय नहीं रह गया है। यह सवाल देश की ऐतिहासिक धरोहरों, दुर्लभ पुस्तकों और ज्ञान के संरक्षण से जुड़ गया है। किसी पुस्तकालय का महत्व केवल उसकी इमारत या उसमें रखी अलमारियों से नहीं होता, बल्कि वहां संकलित पुस्तकों, दस्तावेजों और उनमें सुरक्षित इतिहास से होता है। विकास परियोजनाओं के दौरान ऐसी धरोहरों के लिए पहले से ठोस और व्यावहारिक योजना तैयार करना आवश्यक है। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी ने इसी जिम्मेदारी की ओर केंद्र सरकार का ध्यान खींचा है। अब सबकी निगाहें 20 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जिसमें यह स्पष्ट हो सकेगा कि लाखों पुस्तकों की सुरक्षा और उनके भविष्य को लेकर सरकार की योजना कितनी ठोस है।

हनी ट्रैप से आगे बढ़ा विदेशी जासूसी का खेल, अब साइबर नेटवर्क के जरिए रक्षा क्षेत्र पर नजर

नई दिल्ली। भारतीय रक्षा क्षेत्र से जुड़ी संवेदनशील जानकारियां हासिल करने के लिए विदेशी जासूसी नेटवर्क अब पारंपरिक तरीकों से आगे बढ़कर साइबर माध्यमों और नए-नए हथकंडों का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले जहां हनी ट्रैप के जरिए सैन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती थी, वहीं अब सोशल मीडिया, साइबर जासूसी, मल्टीलेवल मार्केटिंग और आर्थिक दबाव जैसे तरीकों से भी गोपनीय सूचनाएं जुटाने की कोशिश हो रही है। एयरफोर्स चीफ आशुतोष दीक्षित ने इस बदलते खतरे को लेकर चिंता जताते हुए कहा है कि विदेशी जासूसी नेटवर्क अब केवल प्रेमजाल तक सीमित नहीं हैं, बल्कि रक्षा प्रतिष्ठानों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के भीतर तक पहुंच बनाने के प्रयास कर रहे हैं। सबसे गंभीर चुनौती यह है कि संवेदनशील सूचनाएं बाहरी साइबर हमलों के साथ-साथ अंदरूनी लोगों के माध्यम से भी लीक हो सकती हैं।

आशुतोष दीक्षित के मुताबिक, जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे तरीकों में लगातार बदलाव हो रहा है। सोशल मीडिया पर पहले लोगों से दोस्ती की जाती है, फिर धीरे-धीरे उन्हें भावनात्मक रूप से अपने प्रभाव में लेकर गोपनीय जानकारियां हासिल करने की कोशिश होती है। कुछ मामलों में मल्टीलेवल मार्केटिंग के नाम पर लोगों को संपर्क में लाया जाता है, जबकि आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे कर्मचारियों को कर्ज या पैसों का लालच देकर निशाना बनाया जा सकता है। इस तरह जासूसी नेटवर्क लोगों की व्यक्तिगत कमजोरियों और परिस्थितियों का फायदा उठाकर रक्षा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2026 में हनी ट्रैप से जुड़े चार मामले सामने आए हैं। इनमें नौसेना के दो जवान, वायुसेना का एक विंग कमांडर और एक पूर्व सैनिक शामिल थे। इन मामलों ने एक बार फिर रक्षा प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों की व्यक्तिगत डिजिटल गतिविधियों तथा सोशल मीडिया संपर्कों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हनी ट्रैप में आमतौर पर किसी व्यक्ति को प्रेम संबंध या दोस्ती का झांसा देकर अपने प्रभाव में लिया जाता है। इसके बाद बातचीत के दौरान उससे व्यक्तिगत जानकारी, दस्तावेज या संवेदनशील सैन्य सूचनाएं हासिल करने का प्रयास किया जाता है। कई बार व्यक्ति को पहले सामान्य बातचीत में उलझाया जाता है और बाद में उसे ब्लैकमेल करके जानकारी देने के लिए मजबूर करने की कोशिश होती है।

हालांकि, अब जासूसी का दायरा इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। साइबर माध्यमों के जरिए रक्षा प्रतिष्ठानों से जुड़े कर्मचारियों के कंप्यूटर नेटवर्क, ई-मेल, मोबाइल उपकरणों और डिजिटल संचार व्यवस्था को निशाना बनाने की आशंका भी बनी हुई है। इस तरह के प्रयासों में तकनीकी कमजोरियों का फायदा उठाकर गोपनीय सूचनाओं तक पहुंचने की कोशिश की जाती है। रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाले डिजिटल नेटवर्क और सॉफ्टवेयर की सुरक्षा इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि छोटी सी चूक भी बड़े सुरक्षा जोखिम में बदल सकती है।

एयरफोर्स चीफ ने बताया कि इन खतरों से निपटने के लिए तकनीकी और संस्थागत दोनों स्तरों पर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की जा रही है। केवल सैन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा पर्याप्त नहीं है, बल्कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) की प्रयोगशालाओं, सरकारी रक्षा संस्थानों और निजी रक्षा कंपनियों के नेटवर्क को भी सुरक्षित बनाना जरूरी है। वर्तमान समय में रक्षा उत्पादन और अनुसंधान से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों में निजी कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। ऐसे में उनके पास उपलब्ध तकनीकी जानकारियों, डिजाइन, परियोजनाओं और अन्य संवेदनशील दस्तावेजों की सुरक्षा भी राष्ट्रीय सुरक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। उन्होंने बताया कि निजी रक्षा कंपनियों को सुरक्षित नेटवर्क के इस्तेमाल और उपयुक्त सॉफ्टवेयर के चयन के संबंध में मार्गदर्शन देने के लिए एक एजेंसी भी काम कर रही है। इस एजेंसी का उद्देश्य कंपनियों को साइबर सुरक्षा के बेहतर उपाय अपनाने के लिए सलाह देना है। कंपनियों को इन सुझावों का गंभीरता से पालन करना चाहिए, ताकि डिजिटल नेटवर्क में मौजूद कमजोरियों को दूर किया जा सके और साइबर हमलों की आशंका कम हो। रक्षा क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों को यह समझना होगा कि सुरक्षा केवल बड़े संस्थानों या सरकारी प्रतिष्ठानों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उनसे जुड़ी हर छोटी-बड़ी इकाई को भी समान सतर्कता बरतनी होगी। इस पूरे मामले में सबसे संवेदनशील पहलू अंदरूनी लोगों के माध्यम से गोपनीय सूचनाओं का बाहर पहुंचना है। किसी भी रक्षा प्रतिष्ठान में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी महत्वपूर्ण दस्तावेजों, तकनीकी प्रक्रियाओं और संस्थागत गतिविधियों से जुड़े होते हैं।

एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा विपक्ष, चुनाव आयोग से 48 सवालों के जवाब मांगने की तैयारी

नई दिल्ली। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच जारी टकराव अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। राहुल गांधी समेत इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने सोमवार को शीर्ष अदालत में नई याचिका दाखिल कर चुनाव आयोग से एसआईआर से जुड़े 48 सवाल पूछने की अनुमति मांगी है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि इस प्रक्रिया के दौरान चुनाव आयोग ने जो फैसले लिए, जिन निर्णयों को मंजूरी दी और जिन मुद्दों पर आपत्तियां दर्ज की गईं, उनका पूरा विवरण सामने आना चाहिए। याचिका में यह भी मांग की गई है कि यदि इन सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी संभाल रहे डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर के पास रिकॉर्ड के आधार पर पर्याप्त जानकारी उपलब्ध नहीं है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और दोनों चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी अलग-अलग हलफनामा दाखिल कर अपना जवाब दें।

कांग्रेस की ओर से दाखिल इस याचिका के साथ 48 सवालों की विस्तृत सूची भी अदालत को सौंपी गई है। इन सवालों के माध्यम से विपक्ष एसआईआर की पूरी प्रक्रिया, उसके संचालन और इस दौरान



चुनाव आयोग की ओर से लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी हासिल करना चाहता है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से यह जानने की मांग की है कि एसआईआर के दौरान आयोग ने किन-किन प्रस्तावों और फैसलों पर विचार किया, किन निर्णयों को स्वीकृति दी गई और किन मामलों में आपत्ति जताई गई। विपक्ष का जोर इस बात पर है कि प्रक्रिया से जुड़े निर्णयों और उनके आधार को स्पष्ट किया जाए, ताकि यह समझा जा सके कि पुनरीक्षण के दौरान चुनाव आयोग ने किस तरह काम किया।

याचिका में डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर की जवाबदेही को लेकर भी महत्वपूर्ण मांग रखी गई है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि यदि संबंधित अधिकारी के पास पूछे गए सवालों के जवाब देने के लिए आवश्यक अभिलेख या पर्याप्त जानकारी नहीं है, तो केवल उनके माध्यम से जवाब देने के बजाय चुनाव आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों को स्वयं सामने आना चाहिए। इसी आधार पर मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों चुनाव आयुक्तों से अलग-अलग हलफनामा दाखिल करने की मांग की गई है। विपक्ष चाहता है कि आयोग के प्रत्येक शीर्ष पदाधिकारी एसआईआर से जुड़े सवालों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें और प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक जानकारी अदालत के सामने रखें।

एसआईआर को लेकर विपक्ष पहले भी अपनी आपत्तियां दर्ज कराता रहा है। विपक्षी दलों का आरोप है कि इस प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण सवालों पर स्पष्टता आवश्यक है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी सांसदों ने पहले भी न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की थी। 11 अक्टूबर को विपक्षी सांसदों ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत को पत्र लिखकर ज्ञापन सौंपने के लिए समय मांगा था, लेकिन उन्हें मुलाकात का समय नहीं मिल सका। इसके अगले दिन यानी 12 अक्टूबर को विपक्षी नेताओं ने दिल्ली के बाराखंभा रोड से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकाला था। इस मार्च के जरिए उन्होंने एसआईआर और मुख्य चुनाव आयुक्त से जुड़े मुद्दों पर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। 12 अक्टूबर को ही विपक्षी नेताओं ने इन मुद्दों को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका भी दाखिल की थी। अब 48 सवालों के साथ नई याचिका दाखिल किए जाने से एसआईआर को लेकर कानूनी और राजनीतिक बहस एक बार फिर तेज होने की संभावना है। विपक्ष इस प्रक्रिया से जुड़े फैसलों और चुनाव आयोग की भूमिका पर विस्तृत जवाब चाहता है। वहीं, नई याचिका में आयोग के शीर्ष पदाधिकारियों से अलग-अलग हलफनामा दाखिल कराने की मांग को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख और याचिका पर होने वाली सुनवाई आगे की दिशा तय करेगी।

कुलगाम में सुरक्षाबलों ने दो आतंकियों को किया ढेर, लतीफ भट की तलाश जारी

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ अभियान के तहत सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी मिलने का दावा किया गया है। कुलगाम जिले के लारू इलाके में सोमवार को सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में दो आतंकियों को मार गिराने की जानकारी सामने आई है। मारे गए आतंकियों में लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) का कमांडर लतीफ भट और उसका साथी उमर शामिल बताए जा रहे हैं। हालांकि, मुठभेड़ के बाद सुरक्षा एजेंसियों को उमर का शव बरामद हुआ है, जबकि लतीफ भट का शव अभी तक नहीं मिला है। कुछ मीडिया रिपोर्टों में उसके घायल होने और इलाके में कहीं छिपे होने की आशंका जताई गई है। इसी वजह से सुरक्षाबलों ने पूरे इलाके में तलाशी अभियान तेज कर दिया है। अधिकारियों के अनुसार, आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद संयुक्त अभियान शुरू किया गया था, जो करीब तीन घंटे तक चला।

सेना के एक अधिकारी के मुताबिक, खुफिया एजेंसियों से लारू इलाके में आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों की संयुक्त टीम ने संदिग्ध इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान शुरू किया। सुरक्षाबल जब संदिग्ध ठिकाने के नजदीक पहुंचे तो वहां छिपे आतंकियों ने अचानक गोलीबारी शुरू कर दी। जवाब में जवानों ने भी मोर्चा संभालते हुए कार्रवाई की। इसके बाद दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हुई। करीब तीन घंटे



तक चले इस अभियान में दो आतंकियों को मार गिराने का दावा किया गया। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सेना ने आसपास के स्कूलों में मौजूद बच्चों को भी सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इस कदम से किसी नागरिक को नुकसान पहुंचने की आशंका को कम किया गया।

पुलिस के अनुसार, मुठभेड़ में शामिल लतीफ भट घाटी में लश्कर-ए-तैयबा का आखिरी बचा हुआ कमांडर बताया जा रहा है। वह लंबे समय से सुरक्षाबलों की तलाश में था और इस साल कुलगाम तथा अनंतनाग जिलों में हुई कई आतंकी घटनाओं में उसकी भूमिका सामने आई थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक, वह अनंतनाग के लाल चौक में पुलिसकर्मियों पर हुए हमले और कुलगाम में दो प्रवासी मजदूरों की हत्या जैसी घटनाओं में भी शामिल था। इन घटनाओं के बाद से ही सुरक्षाबल उसकी तलाश कर रहे थे। लतीफ के नेटवर्क और उसके साथियों की गतिविधियों पर भी सुरक्षा एजेंसियां नजर रख रही थीं।

इस मुठभेड़ का संबंध 11 नवंबर को कुलगाम जिले के नौपोरा अखरान में सीआरपीएफ कैंप पर हुए हमले से भी जोड़कर देखा जा रहा है। उस दिन बाइक सवार हमलावरों ने कैंप के बाहर नाका ड्यूटी पर तैनात सीआरपीएफ जवानों को निशाना बनाते हुए अचानक गोलीबारी की थी। हमले में तीन जवान घायल हो गए थे। घटना के बाद सामने आए सीसीटीवी फुटेज में हमलावर करीब 15 सेकेंड के भीतर लगभग 30 राउंड फायरिंग करते दिखाई दिए थे। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। इसके बाद से ही पुलिस और सुरक्षाबलों ने हमलावरों की पहचान और उनकी तलाश के लिए अभियान शुरू कर दिया था। सीआरपीएफ पर हुए इस हमले में घायल जवानों की पहचान हेड कॉन्स्टेबल सोमवीर और कॉन्स्टेबल संतानो तथा राकेश दास के रूप में हुई थी। तीनों जवान सीआरपीएफ की 46वीं बटालियन में तैनात हैं। हमले के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी और संदिग्ध ठिकानों पर लगातार निगरानी रखी जा रही थी। सुरक्षाबलों को आशंका थी कि हमलावर स्थानीय स्तर पर किसी आतंकी नेटवर्क की मदद से छिपे हो सकते हैं। इसी कड़ी में खुफिया सूचनाओं के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाए जा रहे थे। कुलगाम और आसपास के इलाकों में हाल के दिनों में आतंकी गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां विशेष सतर्कता बरत रही हैं। सुरक्षाबलों का ध्यान केवल मुठभेड़ में शामिल आतंकियों को खत्म करने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनके सहयोगियों, ठिकानों और हथियारों की आपूर्ति से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने पर भी है। लतीफ भट का शव नहीं मिलने के कारण उसकी वास्तविक स्थिति को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में लारू और आसपास के इलाकों में तलाशी अभियान जारी रखा गया है। सुरक्षा एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही हैं और आधिकारिक पुष्टि के बाद ही मुठभेड़ में मारे गए आतंकियों की संख्या तथा उनकी पहचान को लेकर अंतिम स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

गरवी गुजरात
हिन्दी

JioTV
CHENNAL NO.
2002

Jio Air Fiber
Jio Tv +
Jio Fiber
Daily Hunt
ebaba Tv
Dish Plus
DTH live OTT
Rock TV
Airtel
Amezone Fire
Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार
प्राप्त करने के लिए आज ही
गरवी गुजरात हिंदी चेनल देखिये

संपादकीय

मुश्किलों के डेटा सेंटर

आज चारों तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हौवा नजर आता है, जिसके लिए मानव की नैसर्गिक प्रतिभा और जीवन के जरूरी अवयवों को नजरअंदाज किया जा रहा है। माना कि एआई के विस्तार से आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, जिसके लिए डेटा सेंटरों का तेजी से अंधाधुंध विस्तार हो रहा है। वहीं दूसरी ओर, अमेरिका, यूरोप और भारत में इनके खिलाफ बढ़ता विरोध एक अहम चेतावनी भी है। निस्संदेह, तकनीकी प्रगति होनी चाहिए, लेकिन इसकी कीमत समाज और पर्यावरण को नहीं चुकानी चाहिए। अमेरिका में हालिया मध्यावधि चुनावों में डेटा सेंटर परियोजनाओं को लेकर लोगों का गुस्सा भी सामने आया है। वास्तव में, दुनिया भर के लोग डेटा सेंटरों को चलाने में इस्तेमाल होने वाली भारी-भरकम बिजली और पानी के बेतहाशा इस्तेमाल को लेकर नाराज हैं। वे स्थानीय संसाधनों पर पड़ने वाले इनके नकारात्मक प्रभावों को लेकर चिंतित हैं। यही वजह है कि अमेरिका के टेक्सास में पानी की घटती आपूर्ति को लेकर किसानों का गुस्सा वहां एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कमोबेश ऐसा ही गुस्सा अमेरिका के अन्य राज्यों और कुछ यूरोपीय देशों में भी देखने को आ रहा है। इस विरोध का संदेश साफ है कि लोग अब उन बड़े फैसलों पर अपनी राय रखना चाहते हैं, जिनका असर उनके जीवन पर सीधा पड़ता है। इसी तरह, भारत में भी महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्य आज इस मुद्दे को लेकर अहम मोड़ पर खड़े नजर आते हैं। निस्संदेह, बड़े डेटा सेंटर प्रस्ताव निवेश की महत्वाकांक्षी पहल के साथ डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत कर सकते हैं। इससे रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। लेकिन इसके बावजूद कंपनियों को संसाधनों के प्रबंधन के जवाबदेह तौर-तरीकों को प्राथमिकता देनी चाहिए। हर डेटा सेंटर परियोजना में तीन मुख्य पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए, जिनमें व्यापार, समुदाय और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाया जाए। कंपनियों को ऊर्जा की खपत कम करने वाली तकनीकों, नवीकरणीय ऊर्जा और टिकाऊ कूलिंग सिस्टम को प्राथमिकता देनी चाहिए। वहीं, कम-से-कम पानी की खपत करने वाली तकनीकों में निवेश करना चाहिए। आंध्र प्रदेश के भोगापुरम में हालिया स्थानीय निकाय चुनावों में दो किसान जीते, जिसकी मुख्य वजह यह थी कि डेटा सेंटरों को लेकर उनकी चिंताएं मतदाताओं को तार्किक लगीं। किसी भी परियोजना को मंजूरी मिलने से पहले वहां के निवासियों को संसाधनों की खपत, पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव और परियोजना से होने वाले आर्थिक लाभों की जानकारी दी जानी चाहिए। विकास कार्यों में स्थानीय लोगों को केवल मूकदर्शक मानने के बजाय उनकी अहम हिस्सेदारी होनी चाहिए। निस्संदेह, डेटा सेंटर भारत के डिजिटल भविष्य को गति देने में योगदान कर सकते हैं। लेकिन इनकी सफलता को केवल निवेश के आंकड़ों या कंप्यूटिंग क्षमता से ही नहीं मापा जा सकता। वास्तव में, यह देखा जाना चाहिए कि स्थानीय लोगों को कितने रोजगार मिले, वहां कितने संसाधनों की बचत की गई और इससे स्थानीय समुदायों को कितना संबल मिला। सही मायने में, किसी भी विकास का लाभ सभी हितधारकों को मिलना चाहिए, न कि केवल बड़ी तकनीकी कंपनियों को।

एक भारतीय प्रेम कहानी और राजनीतिक निहितार्थ

> “इसका कतई यह मतलब नहीं है कि यह किताब कांग्रेस पार्टी को उन राज्यों के चुनावों में कोई फायदा पहुंचाएगी, जहां वह फिलहाल चुनावी मैदान में है। हालांकि, जैसा कि हम जानते हैं, अतीत कभी पूरी तरह से अतीत नहीं बनता; वह अक्सर वर्तमान में आ खड़ा होता है।

सोनिया गांधी की आत्मकथा ‘बिलॉन्गिंग’ भारत में व्यापक सुर्खियों में बनी हुई है। निश्चित ही, आप इस किताब विशेष की विषयवस्तु इसके मुखपृष्ठ से ही जान जाते हैं। इस पर एक युवा यूरोपीय महिला की श्वेत-श्याम तस्वीर है—जो अपने प्यार की खातिर आधी दुनिया पार कर भारत आई और उसके गुजर जाने के बाद भी यहीं बनी रही। वह तब भी डटी रही, जब विपक्ष और उसकी अपनी ही पार्टी के साथी विदेशी मूल होने को लेकर उस पर तंज कसते रहे। यह तस्वीर वाकई बहुत खूबसूरत है।

इतना ही नहीं, किताब में नाकाबिल-ए-माफी 55 त्रुटियों के बावजूद—स्पष्टतः जो खराब संपादन की वजह से बच निकलीं—ऐसा लगता है कि इस किताब ने गांधी परिवार और कांग्रेस को एक बार फिर राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में ला दिया है। निश्चित ही, कांग्रेस को उम्मीद है कि इससे पार्टी को एक नई जान मिलेगी, जो मौजूदा राजनीति से इतर बनी रहेगी। वह भी ऐसे समय में, जब पांच अहम राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जो देश की राजनीति का स्वरूप बदल सकते हैं।

ऐसा लगता है कि शायद किताब के माध्यम से बेहतरीन संवाद बनाने की पुरजोर कोशिश की गई है। यह उच्च कोटि की कहानियों के प्रति भारतीयों के प्रेम की पर्याय है, यानी ‘कथासरित्सागर’ यानी कहानियों का महासागर। वह जिसका उपयोग करते हुए सलमान रुश्दी ने कुछ दशक पहले अपनी रचनाएं अंग्रेजी बोलने वाली दुनिया के सामने पेश की थीं। अटल बिहारी वाजपेयी को भी इसका उपयोग अपनी हिंदी कविताओं और चुटीले अंदाज से करने की समझ थी। शायद इसीलिए देश उन्हें बहुत प्यार करता था, भले ही उन्होंने हमेशा बीजेपी को वोट न दिया हो। सोनिया की यादों का पिटारा रूपी इस पुस्तक में एक बहुत ही प्यारा किस्सा है, जिसमें बताया गया है कि कैसे एक बार वाजपेयी ने सोनिया को समझाया था कि भले ही कांग्रेस



और बीजेपी राजनीतिक रूप से एक-दूसरे के विरोधी हों, फिर भी राजनीति से इतर दोनों पक्षों के बीच एक रिश्ता सदा कायम रह सकता है। सालों बाद, जब वाजपेयी एक बार गंभीर रूप से अस्वस्थ हुए और सोनिया उनका हाल-चाल पूछने गईं, तो उन्होंने बिना कुछ कहे बस अपना हाथ बढ़ाया और सोनिया का हाथ थाम लिया।

आप सोनिया की किताब को ब्लिंकइट पर भी ऑर्डर कर सकते हैं—यह भी उनकी राजनीतिक रणनीति का ही एक हिस्सा है। पुस्तक विक्रेताओं तक किताब पहुंचने से कुछ दिन पहले ही, कांग्रेस की इस वरिष्ठ नेता की पुस्तक का विमोचन इंस्टाग्राम पर भी हुआ। इंस्टाग्राम पर प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता की तुलना में वे अभी काफी पीछे हैं—पिछले तीन हफ्तों में उनके केवल 3,55,000 फॉलोअर्स हुए हैं, जबकि प्रधानमंत्री के अकाउंट के 10.7 करोड़ फॉलोअर्स हैं। किताब का मंतव्य भारत के सबसे पुराने राजनीतिक वंश की जटिल और अक्सर विरोधाभासी कहानियों को देश के विशाल युवा वर्ग तक पहुंचाना है। इसका उद्देश्य अतीत को उसके सभी रंगों, जिनमें कुछ धुंधले या विवादास्पद पहलू भी शामिल हैं, के साथ फिर से जीवंत करना है और देश को यह याद दिलाना है कि गांधी परिवार के साथ उसका एक विशेष नाता कैसे है।

यह तमाम कोशिशें बिक्री कला की उस पुरानी कहावत को सच साबित करती हैं कि प्रचार अच्छा हो या बुरा, आखिर प्रचार तो प्रचार ही होता है। एक ‘भारतीय प्रेम कहानी’ से बेहतर और क्या हो सकता है, जिसकी मुख्य नायिका ‘भारत माता’ हो और जिसके किरदार दुनिया के अलग-अलग हिस्सों और विभिन्न धर्मों से जुड़े हों?

इसका कतई यह मतलब नहीं है कि यह किताब कांग्रेस पार्टी को उन राज्यों के चुनावों में कोई फायदा पहुंचाएगी, जहां वह फिलहाल चुनावी मैदान में है। हालांकि, जैसा कि हम जानते हैं, अतीत कभी पूरी तरह से अतीत नहीं बनता; वह अक्सर वर्तमान में आ खड़ा होता है। यह बात पंजाब के लिए उतनी ही सच है, जहां आज भी 1984 के सिख-विरोधी दंगों की भयावह यादें ताज़ा हैं; और उत्तर प्रदेश के लिए भी, जिसने राम मंदिर बनाने के वादे पर बार-बार बीजेपी को सत्ता में पहुंचाया—और अब सवाल यह है कि क्या अयोध्या के मंदिर में हुई चोरी की घटना इसके राजनीतिक भाग्य पर कोई असर डालेगी?

पंजाब और दिल्ली में, सोनिया गांधी द्वारा 1984 के ‘नरसंहार’ को ‘दुखद और शर्मनाक’ बताए जाने से काफी हलचल हुई है। बीजेपी ने सिख-विरोधी दंगों में अपने पति खोने वाली कुछ विधवाओं को गुरुद्वारा रकाब गंज में इकट्ठा किया, ताकि वे अपनी आपबीती सुना सकें—कि कैसे दंगे भड़काने के दोषी कांग्रेस नेता सज्जन कुमार की कुछ महीने पहले जेल में मौत हो जाने के बावजूद, प्रभावित 2,800 परिवारों में से किसी को भी आज तक सही मायने में न्याय नहीं मिला है। बीजेपी यहां सही है; कांग्रेस पार्टी ने 1984 के दंगों के लिए कभी औपचारिक रूप से माफी नहीं मांगी है। 11-12 अगस्त 2005 को, तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने राज्यसभा में करीब-करीब माफी जैसा बयान जरूर दिया था। यह बयान नानावती आयोग की रिपोर्ट पेश किए जाने के तुरंत बाद आया था, जिसका गठन पांच साल पहले, वर्ष 2000 में, बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने 1984 के दंगों के कारणों, उनके दायरे और घटनाओं के क्रम की जांच के लिए किया था। डॉ. सिंह ने कहा था : ‘इन दुखद घटनाओं ने देश की अंतरात्मा को गहरा घाव दिया है और संविधान में निहित ‘भारतीय राष्ट्र’ की अवधारणा को नकारा है।’

यह कांग्रेस की ओर से पटल पर रखा गया कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री के तौर पर अपनी पार्टी और देश की ओर से इतना भर बोलना कांग्रेस को उम्मीद थी कि काफी रहेगा। इससे छह साल पहले, 1999 में कांग्रेस अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद, सोनिया गांधी पंजाब कांग्रेस प्रमुख कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ स्वर्ण मंदिर गई थीं। (कैप्टन सिंह ने मुझे बताया था कि वे सोनिया गांधी को दो बार दरबार साहिब ले गए थे।) उनकी इस यात्रा को एक तरह से सांकेतिक माफी के तौर पर पेश किया गया, हालांकि सोनिया गांधी ने कभी शाब्दिक रूप में अपना दुख नहीं जताया। इसके तीन साल बाद, 2002 में, पंजाब ने कैप्टन के नेतृत्व वाली कांग्रेस को जिताया। जहां तक राहुल गांधी की बात है, तो उन्होंने पिछले साल ही कहा था : ‘80 के दशक में जो हुआ, वह गलत था। मैं कई बार स्वर्ण मंदिर जा चुका हूं। भारत में सिख समुदाय के साथ मेरे बहुत अच्छे और प्रेमपूर्ण संबंध हैं।’

अवश्य ही, पंजाब का कांग्रेस के साथ रिश्ता जटिल है—1984 के बाद से पंजाब ने केवल तीन बार ही इस पार्टी को जिताया है। 1992 में बेअंत सिंह जीते थे, लेकिन तीन साल बाद आतंकवादियों ने उनकी हत्या कर दी। इसके बाद 2002 और 2017 में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में पार्टी सत्ता में आई—वे अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं।

ऐसे में, आगामी चुनावों में यह ‘प्यार भरा रिश्ता’ किस दिशा में आगे बढ़ेगा? इतना जरूर है कि पंजाब के लोगों को अपमान और बेइज्जती लंबे समय तक याद रहती है—उन्हें 1984 के दंगे याद हैं और यह भी याद है कि 2020-21 में उन्होंने बीजेपी की दिल्ली की नाकाबंदी क्यों की थी। इन दोनों से तंग आकर, पिछले चुनावों में उन्होंने आम आदमी पार्टी को भारी बहुमत दिया था।

अब सभी पक्ष साफ स्लेट पर फिर से अपनी-अपनी इबारत उकेरने की उम्मीद कर रहे हैं। बीजेपी अकाली दल के साथ गठबंधन करके मैदान में बने रहना चाहती है, कांग्रेस किसी तरह अपनी खोई जगह बनाना चाहती है और ‘आप’ को उम्मीद है कि वह अपनी सत्ता बरकरार रख पाएगी।

जहां आगामी कुछ हफ्तों और महीनों में राजनीति हावी रहेगी और सभी पक्ष अपना-अपना बेहतरीन स्वरूप पेश करेंगे, वहीं पंजाब के लोगों को उम्मीद है कि चुनाव उपरांत कम से कम सभी पक्ष एक साथ आएंगे, ताकि नशे की समस्या और गैंगस्टरों रूपी राक्षस को खत्म किया जा सके। यह करना एक बहुत बड़ी उम्मीद पालना है, लेकिन वे जानते हैं कि यह अस्तित्व का प्रश्न है।

प्रेरणा

सत्य की खोज में निर्भीक प्रश्नों का महत्व

मनुष्य के जीवन में ज्ञान प्राप्त करने की शुरुआत जिज्ञासा से होती है। जब तक मन में प्रश्न उठते नहीं, तब तक किसी विषय की गहराई को समझना संभव नहीं होता। जो व्यक्ति बिना सोचे-समझे किसी बात को स्वीकार कर लेता है, वह अक्सर दूसरों की धारणाओं और विचारों के सहारे अपना जीवन बिताता है। इसके विपरीत, जो व्यक्ति प्रश्न करने का साहस रखता है, वह सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है। स्पष्टवादिता का वास्तविक अर्थ भी यही है कि व्यक्ति अपनी जिज्ञासा, विचार और संदेह को बिना किसी संकोच के सामने रखे। हालांकि, स्पष्ट बोलने के साथ विवेक और विनम्रता का होना भी उतना ही आवश्यक है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग इस बात को बेहद सुंदर ढंग से समझाता है।

स्वामी विवेकानंद बचपन से ही असाधारण जिज्ञासु और विचारशील स्वभाव के थे। उनका मन सामान्य बातों को स्वीकार करने के बजाय उनके पीछे छिपे सत्य को जानने के लिए बेचैन रहता था। किशोरावस्था में ही उनके मन में ईश्वर के अस्तित्व और आध्यात्मिक अनुभूति को लेकर अनेक प्रश्न उठने लगे थे। वे केवल पुस्तकों में पढ़ी बातों या दूसरों के बताए सिद्धांतों को ही अंतिम सत्य नहीं मानते थे। उनकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसा गुरु मिले, जिसने स्वयं ईश्वर का साक्षात्कार किया हो और जो उन्हें भी उस परम सत्य का अनुभव करा सके।

इसी खोज में वे अनेक साधु-संतों और विद्वानों के संपर्क में आए। जहां भी किसी संत या महात्मा को देखते, उनके मन में एक ही प्रश्न उठता था। वे उनसे सीधे पूछते, ''क्या आपने भगवान को देखा है?'' यह प्रश्न सुनकर कई लोग असहज हो जाते, तो कुछ उन्हें धर्म और शास्त्रों की बातें समझाने लगते। लेकिन विवेकानंद को केवल पुस्तकीय ज्ञान से संतोष नहीं होता था। वे जानना चाहते थे कि जिस ईश्वर की चर्चा संसार में इतनी श्रद्धा के साथ होती है, क्या वास्तव में उसका अनुभव भी किया जा सकता है? उनके लिए धर्म केवल मान्यता नहीं, बल्कि अनुभूति का विषय था।

इसी आध्यात्मिक तलाश के दौरान उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई। रामकृष्ण परमहंस के व्यक्तित्व, सरल स्वभाव और आध्यात्मिक विचारों ने उन्हें गहराई से प्रभावित किया। उनके प्रवचनों में ऐसी सहजता और आत्मीयता थी, जो सुनने वाले के मन को आकर्षित करती थी। परमहंस भी युवा विवेकानंद की प्रतिभा और उनकी जिज्ञासाओं से प्रभावित हुए। उन्होंने उन्हें दक्षिणेश्वर स्थित काली मंदिर में मिलने के लिए आमंत्रित किया।

जब विवेकानंद उनसे मिलने पहुंचे तो वहां का वातावरण उनके लिए नया था। रामकृष्ण परमहंस के आसपास अनेक प्रतिष्ठित और प्रभावशाली लोग उपस्थित थे। कोई उनकी सेवा में लगा था, तो कोई उनके उपदेशों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। वहां उपस्थित लोगों के मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा थी। ऐसे वातावरण में सामान्य व्यक्ति शायद अपनी बात कहने से पहले कई बार सोचता, लेकिन विवेकानंद का उद्देश्य किसी को प्रभावित करना या अपनी विद्वता दिखाना नहीं था। वे तो अपनी वर्षों पुरानी जिज्ञासा का समाधान खोजने आए थे।

उन्होंने बिना किसी भूमिका के रामकृष्ण परमहंस से वही प्रश्न कर दिया, जो वे अब तक अनेक साधु-संतों से पूछते आए थे। उन्होंने पूछा, ''क्या आपने भगवान को देखा है?'' उनके इस सीधे और स्पष्ट प्रश्न से वहां उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। कुछ भक्तों को उनका यह व्यवहार अनुचित लगा। उन्हें लगा कि इतने महान संत के सामने इस प्रकार प्रश्न करना उनकी मर्यादा के अनुरूप नहीं है। उन्होंने विवेकानंद को समझाते हुए कहा कि उन्हें भगवान स्वरूप संत से इस तरह का प्रश्न नहीं करना चाहिए।

लेकिन विवेकानंद अपने प्रश्न को लेकर पूरी तरह गंभीर थे। उन्होंने दृढ़ता से अपनी बात रखी कि वे किसी भी बात को बिना ठीक से समझे स्वीकार नहीं करते। उनके लिए किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा, उसके अनुयायियों की संख्या या समाज में उसका सम्मान किसी विचार को सत्य मान लेने का पर्याप्त आधार नहीं था। वे श्रद्धा रखते थे, लेकिन उनकी श्रद्धा अंधविश्वास पर आधारित नहीं थी। वे चाहते थे कि विश्वास का आधार अनुभव, तर्क और वास्तविकता हो। विवेकानंद की इस स्पष्टवादिता और निर्भीकता से रामकृष्ण परमहंस अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके प्रश्न को अपमान या अविश्वास के रूप में नहीं देखा, बल्कि एक सच्चे साधक की जिज्ञासा के रूप में समझा। रामकृष्ण परमहंस ने उत्तर दिया कि उन्होंने भगवान को देखा है, उसी प्रकार स्पष्ट रूप से जैसे वे सामने बैठे लोगों को देख रहे हैं। उनका यह भी भाव था कि ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है और मनुष्य भी सच्ची लगन से उस अनुभूति को प्राप्त कर सकता है। यह प्रसंग केवल एक गुरु और शिष्य की पहली मुलाकात का वर्णन नहीं है, बल्कि जीवन में तार्किकता और स्पष्टवादिता के महत्व को भी सामने लाता है। विवेकानंद ने यह सिद्ध किया कि सच्ची श्रद्धा का अर्थ सवालों से बचना नहीं, बल्कि सत्य को जानने के लिए प्रश्न करना है।

किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान रखने का मतलब यह नहीं कि उसके प्रत्येक विचार को बिना विचार किए स्वीकार कर लिया जाए। सम्मान और तर्क एक-दूसरे के विरोधी नहीं हैं। वास्तव में, सही प्रश्न किसी विचार को और अधिक स्पष्ट तथा सार्थक बनाते हैं।

आज के समय में इस प्रसंग की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। समाज में कई बार व्यक्ति प्रतिष्ठा, परंपरा, सामाजिक दबाव या दूसरों की राय के कारण अपनी जिज्ञासाओं को व्यक्त नहीं कर पाता। उसे डर रहता है कि कहीं उसके प्रश्न को असम्मान या विरोध न समझ लिया जाए। जबकि स्वस्थ समाज वही होता है, जहां प्रश्न पूछने की स्वतंत्रता हो और उत्तर देने की उदारता। बच्चों को भी बचपन से सवाल करने, तर्क करने और सही-गलत में अंतर समझने की शिक्षा मिलनी चाहिए। इससे उनमें आत्मविश्वास और स्वतंत्र चिंतन का विकास होता है। हालांकि, स्पष्टवादिता का अर्थ कटुता या अहंकार नहीं होना चाहिए। अपनी बात कहने का तरीका भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि विचारों की स्पष्टता। प्रश्न विनम्रता से किया जाए और उत्तर को खुले मन से सुना जाए, तो संवाद ज्ञान का माध्यम बन सकता है। स्वामी विवेकानंद की विशेषता यही थी कि वे न तो अपनी जिज्ञासा दबाते थे और न ही सत्य की खोज में अपनी बुद्धि का साथ छोड़ते थे।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस: पत्रकारिता नैतिकता और लोकतंत्र की परीक्षा

अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बरकरार रखने तथा उसका सम्मान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को ‘राष्ट्रीय प्रेस दिवस’ मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस एक वैधानिक और अर्ध-न्यायिक प्रतिष्ठान के रूप में भारतीय प्रेस परिषद को स्वीकार करने तथा सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है, जो देश में एक स्वतंत्र और जिम्मेदार प्रेस की उपस्थिति का प्रतीक है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। पत्रकारिता की नैतिकता और प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए भारत में प्रथम प्रेस आयोग ने 1956 में एक समिति की कल्पना की थी और 10 वर्ष बाद 4 जुलाई 1966 को भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना की, जिसने 16 नवम्बर 1966 को अपना कार्य शुरू किया। उसी के बाद से प्रतिवर्ष 16 नवम्बर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। भारतीय प्रेस परिषद देश में स्वस्थ लोकतंत्र को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के अलावा विश्वसनीयता बरकरार रखने के लिए एक नैतिक प्रहरी के रूप में सभी पत्रकारिता गतिविधियों की निगरानी करती है तथा यह भी सुनिश्चित करती है कि देश में प्रेस किसी बाहरी मामले से प्रभावित न हो।राष्ट्रीय प्रेस दिवस वास्तव में प्रेस की स्वतंत्रता तथा समाज के प्रति उसकी जिम्मेदारियों का प्रतीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 में भारतीयों को दिए गए अभिव्यक्ति की आजादी के मूल अधिकार से देश में प्रेस की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित होती है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जहां प्रेस ने लोगों में राष्ट्रीय चेतना की भावना जागृत करने में ऐतिहासिक भूमिका निभाई, वहीं स्वतंत्रता के बाद भी अनेक अवसरों पर सिद्ध होता रहा है कि प्रेस के बिना भारतीय लोकतंत्र अधूरा है। पत्रकार को समाज का ऐसा आईना माना जाता रहा है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाता है। भारत में प्रेस को जनता की एक ऐसी ‘संसद’ की उपाधि दी गई है, जिसका कभी सत्रावसान नहीं होता और जो सदैव जनता के लिए कार्य करती है। इसे समाज में परिवर्तन लाने अथवा जागृत करने के लिए जन-संचार का एक सशक्त माध्यम माना गया है। प्रेस को समाज की चिंतन प्रक्रिया का एक ऐसा अनिवार्य तत्व माना गया है, जो उसे दिशा व गति देने में सक्षम हो। इसे जनता की ऐसी आंख माना गया है, जो सभी पर अपनी पैनी और निष्पक्ष दृष्टि रखे। प्रेस को जनता की उंगली माना गया है, जो गलत कार्यों के विरोध में स्वतः ही उठ जाती है। प्रेस को समाज के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखा जाता है। इसे केवल एक पेशा न मानकर जनसेवा का सबसे बड़ा माध्यम माना गया है।

प्रेस की स्वतंत्रता के महत्व को दुनिया की कई महान् हस्तियों ने अपने-अपने शब्दों में रेखांकित किया है। पूर्व राष्ट्रपति डा. शंकर दयाल शर्मा के शब्दों में कहें तो प्रेस पर लोकतांत्रिक परम्पराओं की रक्षा करने और शांति व भाईचारा बढ़ाने की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की भूमिका पर टिप्पणी करते हुए कहा था कि प्रेस का प्रथम उद्देश्य जनता की इच्छाओं और विचारों को समझना तथा उन्हें सही ढंग से व्यक्त करना है जबकि दूसरा उद्देश्य जनता में वांछनीय भावनाओं को जागृत करना और तीसरा उद्देश्य सार्वजनिक दोषों को निर्भयतापूर्वक प्रकट करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति थॉमस जेफरसन के मुताबिक हमारी स्वतंत्रता प्रेस की स्वतंत्रता पर निर्भर करती है, जिसे खोये बिना सीमित नहीं किया जा सकता। अमेरिका के जाने-माने समाचार प्रस्तोता और विख्यात पत्रकार वाल्टर क्रोनकाइट का कहना था कि प्रेस की स्वतंत्रता केवल लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि यह लोकतंत्र है। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी कहते थे कि एक राष्ट्र, जो अपने लोगों को एक खुले बाजार में सच्चाई और झूठ का न्याय करने से डरता है, वह एक ऐसा राष्ट्र है, जो अपने लोगों से डरता है। ब्रितानी कंजर्वेटिव पार्टी के राजनेता, लेखक तथा दो बार प्रधानमंत्री रहे बेंजामिन डिसरायली का कहना था कि प्रेस न केवल स्वतंत्र है बल्कि शक्तिशाली भी है और वह शक्ति हमारी है। नेल्सन मंडेला ने भी एक स्वतंत्र प्रेस को लोकतंत्र के स्तंभों में से एक बताया था। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने प्रेस की स्वतंत्रता को एक ऐसा अनमोल विशेषाधिकार बताया था, जिसे कोई भी देश नहीं छोड़ सकता।

प्रेस से जुड़े लोगों के कंधों पर समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और चूंकि प्रेस को समाज का दर्पण माना गया है, अतः उस दर्पण में हम जनता को जो कुछ दिखाएंगे, वही उसे नजर आएगा। इसलिए प्रेस जगत के लोगों से समाज के हर वर्ग को यही उम्मीद होती है कि उनका चरित्र अच्छा हो, उनके लेखन में निष्पक्षता और पारदर्शिता हो तथा वे ऊंचे आचार सिद्धांतों को अपनाएं। कानून व्यवस्था की खामियों को प्रकाशित-प्रसारित करना, अपने प्रयासों से शासन को सुव्यवस्थित करना व लोक हितकारी बनाना, पथभ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाना, भ्रष्ट तंत्र को चौकन्ना बनाना, असामाजिक तत्वों पर कड़ी नजर रखना, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में पर्दे की ओट में होने वाले दुष्कृत्यों, अत्याचारों व अन्याय का जनहित में पर्दाफाश करना, समाज व मानवता के गुनाहगार चेहरों पर पड़े नकाब नोचकर जनता के सामने लाना, निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए धार्मिकता एवं राजनीति की आड़ लेने वालों के राज पर्दाफाश करना, समाज में स्वस्थ मानक स्थापित करना, लोक चेतना जागृत करना इत्यादि प्रेस के निम्नलिखित प्रमुख दायित्व माने गए हैं लेकिन यदि पत्रकार स्वयं भ्रष्ट व गैर जिम्मेदार होंगे तो न वे निष्पक्षता के साथ अपनी बात कहने में सक्षम होंगे और न ही समाज के सामने कोई आदर्श तस्वीर प्रस्तुत कर सकेंगे।

अभियान

देवउठनी एकादशी से शुरू होगा शुभ कार्यों और नई उमंगों का दौर

कार्तिक मास की पवित्रता, भगवान विष्णु की आराधना और तुलसी विवाह की मंगल परंपरा से जुड़ी देवउठनी एकादशी सनातन धर्म के प्रमुख पर्वों में विशेष स्थान रखती है। यह दिन आस्था, साधना और शुभ संकल्पों का ऐसा संगम है, जो धार्मिक जीवन के साथ सामाजिक और पारिवारिक परंपराओं को भी नई ऊर्जा प्रदान करता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु चार महीने की योगनिद्रा से जागते हैं। उनके जागरण के साथ चातुर्मास समाप्त होता है और विवाह, गृह प्रवेश सहित दूसरे मांगलिक कार्यों के आयोजन का मार्ग खुलता है। इस पर्व की विशेषता यह है कि इसमें पूजा-पाठ और व्रत के साथ कृषि संस्कृति, तुलसी की महत्ता, प्रकृति के प्रति सम्मान और पारिवारिक एकजुटता के भाव भी समाहित हैं। वर्ष 2026 में देवउठनी एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी।

हिंदू पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि 20 नवंबर को सुबह लगभग 7 बजकर 15 मिनट पर प्रारंभ होकर 21 नवंबर को सुबह लगभग 6 बजकर 31 मिनट पर समाप्त होगी। सामान्य गृहस्थ परंपरा में 20 नवंबर को व्रत रखा जाएगा, जबकि वैष्णव संप्रदाय की कुछ परंपराओं में 21 नवंबर को भी व्रत किया जाएगा। एकादशी व्रत की तिथि और पारण के समय को लेकर अलग-अलग धार्मिक परंपराओं में अंतर हो सकता है। इसलिए श्रद्धालुओं को अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार पूजा और व्रत का निर्णय लेना चाहिए।

देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे भगवान विष्णु की योगनिद्रा से संबंधित पौराणिक मान्यता है। धार्मिक कथाओं के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी को भगवान विष्णु क्षीरसागर में शेषनाग की शैया पर योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसके साथ ही चातुर्मास का आरंभ माना जाता है। इस चार महीने की अवधि में साधु-संत विशेष साधना, तप, जप और संयम का पालन करते हैं। गृहस्थ जीवन में भी धार्मिक अनुशासन और सात्विक आचरण को महत्व दिया जाता है। परंपरागत रूप से इस अवधि में विवाह और अन्य बड़े मांगलिक आयोजनों से परहेज किया जाता है।

कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी पर भगवान विष्णु के जागने की मान्यता के साथ चातुर्मास समाप्त हो जाता है। इसी कारण इसे देवोत्थान या देवउठनी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक दृष्टि से यह सृष्टि में शुभता और नई सक्रियता के आगमन का प्रतीक है। इस दिन से मांगलिक कार्यों के आयोजन का सिलसिला दोबारा शुरू होता है। हालांकि, विवाह और दूसरे संस्कारों के लिए शुभ मुहूर्त का निर्धारण अलग से पंचांग और ज्योतिषीय गणना के अनुसार किया जाता है। भगवान के जागरण का आध्यात्मिक अर्थ यह भी है कि मनुष्य अपने भीतर की निष्क्रियता को त्यागकर कर्तव्य और सकारात्मक कर्मों के प्रति जागरूक बने।

इस अवसर पर श्रद्धालु सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करते हैं और घर के पूजा स्थल को स्वच्छ करते हैं। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र के सामने दीप प्रज्वलित कर पुष्प, फल, धूप, दीप और तुलसी दल अर्पित किए जाते हैं। कई स्थानों पर भगवान को पीले वस्त्र और पीले फूल चढ़ाने की परंपरा है। भक्त विष्णु सहस्रनाम, श्रीहरि के मंत्रों और धार्मिक स्तोत्रों का पाठ करते हैं। दिनभर भजन-कीर्तन, कथा श्रवण और धार्मिक गतिविधियों के माध्यम से वातावरण भक्तिमय बना रहता है। श्रद्धालु अपनी आस्था और क्षमता के अनुसार उपवास रखते हैं।

देवउठनी एकादशी की शाम को भगवान विष्णु को जगाने की परंपरा अत्यंत आकर्षक होती है। उत्तर भारत के अनेक क्षेत्रों में घर के आंगन को साफ करके वहां रंगोली या चौक बनाया जाता है। भगवान के स्वागत के लिए गन्ने का मंडप तैयार किया जाता है। कुछ स्थानों पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रतीकात्मक चित्र बनाकर पूजा की जाती है। शंख, घंटी और थाली बजाकर देव जागरण के पारंपरिक गीत गाए जाते हैं। महिलाएं मंगल गीतों के माध्यम से भगवान के जागरण का उत्सव मनाती हैं। परिवार के सभी सदस्य इस आयोजन में शामिल होकर सामूहिक रूप से पूजा करते हैं। यह परंपरा धार्मिक आस्था के साथ परिवार में एकता और सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने का माध्यम भी है।

इस पर्व में गन्ने की उपस्थिति का अपना विशेष अर्थ है। ग्रामीण क्षेत्रों में गन्ने को समृद्धि और कृषि उत्पादन का प्रतीक माना जाता है। कई स्थानों पर गन्ने के मंडप में भगवान की पूजा की जाती है। इसके साथ मौसमी फल, सब्जियां और नई फसल से प्राप्त अनाज भी अर्पित किए जाते हैं। भारतीय परंपरा में प्रकृति को जीवनदायिनी शक्ति माना गया है। खेतों में फसल तैयार होने के पीछे किसान की मेहनत के साथ मिट्टी, पानी, सूर्य और अनुकूल मौसम का भी योगदान होता है। इसलिए नई उपज को पूजा में शामिल करना प्रकृति और अन्नदाता के प्रति आभार व्यक्त कर

वडनगर के अनंत अनादि म्यूजियम ने रचा इतिहास, दुनिया के प्रतिष्ठित रेड डॉट अवॉर्ड से हुआ सम्मानित

गांधीनगर। गुजरात की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत ने एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय मंच पर देश का गौरव बढ़ाया है। राज्य के प्राचीन शहर वडनगर में विकसित 'अनंत अनादि वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरिएंशियल म्यूजियम' ने वैश्विक स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए प्रतिष्ठित 'रेड डॉट : बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवॉर्ड 2026' अपने नाम कर लिया है। जर्मनी के बर्लिन में प्रदान किए गए इस सम्मान के साथ ही वडनगर का यह संग्रहालय भारत का पहला और एकमात्र म्यूजियम बन गया है, जिसे यह विशिष्ट उपलब्धि हासिल हुई है। यह पुरस्कार केवल एक संग्रहालय की सफलता नहीं, बल्कि भारत की प्राचीन सभ्यता, पुरातात्विक विरासत और आधुनिक संग्रहालय डिजाइन के क्षेत्र में देश की बढ़ती पहचान का भी प्रतीक माना जा रहा है। हजारों वर्ष पुराने इतिहास को अत्याधुनिक तकनीक, डिजिटल प्रस्तुतियों और अनुभव आधारित कहानी कहने की शैली से जोड़ने वाले इस म्यूजियम ने साबित किया है कि अतीत को केवल संरक्षित ही नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे वर्तमान पीढ़ी के लिए जीवंत अनुभव भी बनाया जा सकता है।

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष सांघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस उपलब्धि की जानकारी साझा करते हुए प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने इसे गुजरात की ऐतिहासिक विरासत और सांस्कृतिक गौरव के लिए महत्वपूर्ण क्षण बताया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि हमारी सभ्यता की सदियों पुरानी और निरंतर बनी रहने वाली विरासत अब वैश्विक डिजाइन उत्कृष्टता के मंच पर अपनी पहचान बना रही है। उन्होंने लिखा कि वडनगर इतिहास रच रहा है और अनंत अनादि वडनगर आर्कियोलॉजिकल एक्सपीरिएंशियल म्यूजियम ने जर्मनी के बर्लिन में प्रतिष्ठित रेड डॉट : बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवॉर्ड



2026 हासिल किया है। उनके अनुसार, भारत का पहला और एकमात्र संग्रहालय बनकर यह सम्मान प्राप्त करना पूरे देश के लिए गर्व की बात है। इससे गुजरात की सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिली है। उन्होंने गुजरात की गौरवशाली विरासत को वैश्विक पहचान मिलने पर खुशी जाहिर करते हुए इसे राज्य के इतिहास में एक उल्लेखनीय उपलब्धि बताया।

वडनगर का यह संग्रहालय अपनी स्थापना और प्रस्तुति की अवधारणा के कारण भी दूसरे संग्रहालयों से अलग है। इसे भारत के पहले अनुभव आधारित पुरातात्विक संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसका निर्माण किसी सामान्य भवन या पारंपरिक प्रदर्शनी परिसर में नहीं, बल्कि एक वास्तविक पुरातात्विक खुदाई स्थल पर किया गया है। यहां आने वाले पर्यटक केवल कांच के भीतर रखी पुरानी वस्तुओं और कलाकृतियों को देखकर वापस नहीं लौटते, बल्कि उन्हें उस ऐतिहासिक धरातल को समझने का अवसर मिलता है, जहां हजारों वर्ष पहले मानव जीवन विकसित हुआ था। संग्रहालय का उद्देश्य वडनगर के लंबे इतिहास, उसकी सभ्यतागत निरंतरता और विभिन्न कालखंडों में हुए सामाजिक एवं सांस्कृतिक बदलावों को आम लोगों के सामने रोचक और सहज तरीके से प्रस्तुत करना है।

वडनगर गुजरात के उन प्राचीन नगरों में शामिल है, जहां 2500 साल से अधिक समय से मानव आबादी के निरंतर रहने के प्रमाण मिले हैं। पुरातात्विक उत्खनन से सामने आए अवशेष इस बात की जानकारी देते हैं कि अलग-अलग कालखंडों में यहां जीवन किस प्रकार विकसित हुआ। समय के साथ नगर की संरचना, रहन-सहन, निर्माण शैली, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामाजिक व्यवस्थाओं में किस तरह बदलाव आए, इसकी झलक संग्रहालय में देखने को मिलती है। इस प्रकार यह म्यूजियम केवल प्राचीन वस्तुओं का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसे शहर की जीवंत ऐतिहासिक यात्रा प्रस्तुत करता है, जिसने कई शताब्दियों और सभ्यतागत परिवर्तनों को अपने भीतर समेटे रखा है।

जनवरी 2025 में आम लोगों के लिए खोले गए इस संग्रहालय का परिसर लगभग 12,500 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने किया था। संग्रहालय को इस तरह तैयार किया गया है कि इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों के साथ विद्यार्थी, शोधकर्ता, पर्यटक और नई पीढ़ी के दर्शक भी यहां आकर प्राचीन भारत की सभ्यता को बेहतर ढंग से समझ सकें। यहां पारंपरिक पुरातात्विक कलाकृतियों के प्रदर्शन के साथ आधुनिक डिजिटल तकनीक, दृश्य-श्रव्य माध्यमों और इंटरैक्टिव स्टोरीटेलिंग का उपयोग किया गया है। इन माध्यमों से ऐतिहासिक घटनाओं, प्राचीन जीवनशैली और नगर के विकास की कहानी को इस तरह प्रस्तुत किया जाता है कि दर्शक स्वयं को उस समय और परिवेश से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। संग्रहालय में नौ अलग-अलग विषयों पर आधारित गैलरी बनाई गई हैं। प्रत्येक गैलरी वडनगर के इतिहास और सभ्यता के किसी विशेष पहलू को सामने लाती है। यहां खुदाई में प्राप्त पुरातात्विक अवशेषों, ऐतिहासिक वस्तुओं और डिजिटल प्रस्तुतियों के माध्यम से शहर के अलग-अलग दौर को समझने का अवसर मिलता है। इन गैलरी में अतीत के विभिन्न चरणों को क्रमबद्ध और रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिससे दर्शकों को यह समझने में मदद मिलती है कि हजारों वर्षों के दौरान वडनगर का सामाजिक और सांस्कृतिक स्वरूप किस प्रकार विकसित हुआ। आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इतिहास को केवल तथ्यों और तारीखों तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे एक अनुभव के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। इस संग्रहालय की सबसे अनूठी विशेषता इसका वास्तविक पुरातात्विक उत्खनन स्थल है। यहां जमीन की सतह से लगभग 16 से 18 मीटर नीचे तक मिले पुरातात्विक अवशेषों को संरक्षित करके प्रदर्शित किया गया है। सामान्य तौर पर संग्रहालयों में खुदाई से प्राप्त वस्तुओं को निकालकर अलग-अलग प्रदर्शनी कक्षों में रखा जाता है, लेकिन वडनगर में पर्यटकों को उसी ऐतिहासिक स्थल पर पुरातात्विक परतों और अवशेषों को देखने का अवसर मिलता है, जहां से वे सामने आए हैं। इससे हजारों वर्ष पुराने नगर के विकास, निर्माण गतिविधियों और तत्कालीन जीवनशैली को समझने का एक अलग अनुभव मिलता है। जमीन के भीतर सुरक्षित इन अवशेषों के माध्यम से अतीत की विभिन्न परतों को देखने का अवसर मिलना इस संग्रहालय को विशेष बनाता है। रेड डॉट : बेस्ट ऑफ द बेस्ट अवॉर्ड 2026 मिलना इस बात का संकेत है कि भारतीय इतिहास और विरासत को प्रस्तुत करने के नए तरीके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी सराहे जा रहे हैं। वडनगर के इस संग्रहालय ने पुरातत्व, वास्तुशिल्पीय प्रस्तुति, आधुनिक तकनीक और अनुभव आधारित शिक्षा को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। इसकी उपलब्धि से गुजरात के पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत को भी वैश्विक स्तर पर प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।

भावनगर मंडल के प्राची रोड रेलवे स्टेशन पर 18 नवंबर को आयोजित होगा 'स्टेशन महोत्सव'

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल द्वारा रेलवे बोर्ड की गाइडलाइन्स के अनुरूप ऐतिहासिक एवं विरासत रेलवे स्टेशनों की समृद्ध विरासत को संरक्षित करने तथा आमजन को भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास से जोड़ने के उद्देश्य से 18 नवंबर 2026 को प्राची रोड रेलवे स्टेशन पर 'स्टेशन महोत्सव – Birthday Celebration of Historic/ Heritage Railway Station' का आयोजन किया जाएगा।

इससे पूर्व भावनगर मंडल द्वारा 18 सितंबर 2026 को वेरावल, 19 सितंबर 2026 को जूनागढ़ तथा 22 सितंबर 2026 को वीसावदर रेलवे स्टेशन पर स्टेशन महोत्सव का उत्साहपूर्वक आयोजन किया जा चुका है। इसी श्रृंखला में प्राची रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाला आगामी महोत्सव रेलवे की ऐतिहासिक विरासत, स्थानीय संस्कृति एवं क्षेत्र की गौरवशाली पहचान को प्रदर्शित करने का एक महत्वपूर्ण अवसर होगा।

यह आयोजन मंडल रेल प्रबंधक, भावनगर मंडल श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन एवं प्रेरणा से आयोजित किया जा रहा है। महोत्सव में रेलवे अधिकारियों



एवं कर्मचारियों के साथ स्थानीय प्रशासन, विद्यार्थियों, यात्रियों एवं आम नागरिकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता अपेक्षित है।

इस अवसर पर रेलवे की ऐतिहासिक यात्रा एवं विरासत को दर्शाने के लिए ऐतिहासिक फोटो प्रदर्शनी, Vintage Exhibits, Heritage Equipment तथा पुरानी रेल सामग्री प्रदर्शित की जाएगी। इसके साथ ही Flag March एवं Helium Balloon Raising जैसे आकर्षक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

बच्चों एवं युवाओं की रचनात्मक प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए Drawing Competition, नुक्कड़ नाटक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित करने के साथ-साथ रेलवे कर्मचारियों के योगदान को भी सम्मानित किया जाएगा। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों एवं स्थानीय नागरिकों को भारतीय रेलवे की गौरवशाली विरासत, स्वच्छता, सुरक्षित रेल यात्रा तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित यह महोत्सव ऐतिहासिक रेलवे स्टेशनों की विरासत एवं स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करने तथा नई पीढ़ी को भारतीय रेलवे के गौरवशाली इतिहास से परिचित कराने की दिशा में एक सराहनीय पहल है। ऐसे आयोजन रेलवे और आमजन के बीच जुड़ाव को और मजबूत बनाने के साथ-साथ स्थानीय समुदाय को अपनी ऐतिहासिक धरोहर पर गर्व करने का अवसर प्रदान करते हैं।

उल्लेखनीय है कि रेलवे बोर्ड की पहल के तहत अगस्त से नवंबर 2026 के दौरान देशभर के 100 वर्ष या उससे अधिक पुराने ऐतिहासिक एवं विरासत रेलवे स्टेशनों पर 'स्टेशन महोत्सव' आयोजित किए जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य भारतीय रेलवे की समृद्ध ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करना, उसे जनसामान्य के समक्ष प्रदर्शित करना तथा भावी पीढ़ियों को रेलवे के गौरवशाली अतीत और विकास यात्रा से जोड़ना है। भावनगर मंडल द्वारा प्राची रोड रेलवे स्टेशन पर आयोजित होने वाला यह महोत्सव ऐतिहासिक विरासत, स्थानीय संस्कृति और भारतीय रेलवे की विकास यात्रा का उत्सव होगा।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के विभिन्न स्थलों का दौरा कर कार्यों की समीक्षा की

गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को अहमदाबाद में साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट परियोजना के फेज-2 और फेज-3 के विभिन्न कार्यों का स्थल निरीक्षण कर समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने पश्चिमी तट पर अचेर से पूर्वी तट पर कैंप सदर बाजार के बीच छह लेन के बैराज-कम-ब्रिज, साबरमती रिवरफ्रंट फेज-2 अंतर्गत सरदार पटेल एन्क्लेव कैनोपी स्ट्रक्चर, कोटेश्वर महादेव मंदिर के पीछे और इन्दिरा ब्रिज के नीचे चल रहे कार्यों तथा साबरमती रिवरफ्रंट फेज-3 अंतर्गत साबरमती के पश्चिमी छोर पर कोतरपुर के सामने और पूर्वी छोर पर कराई के निकट नर्मदा नहर एस्केप के पास चल रहे कार्यों की प्रगति का निरीक्षण कर उच्च अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। मुख्यमंत्री ने कार्यों की प्रगति की जानकारी लेकर उन्हें तेजी से पूरा करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन दिया।



मुख्यमंत्री के इस स्थल निरीक्षण और समीक्षा बैठकों में अहमदाबाद शहर के महापौर श्री हितेशभाई बारोट, स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री कमलेशभाई पटेल, साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट अथॉरिटी के अध्यक्ष श्री आई.पी. गौतम, आयुक्त श्री बंछानिधि पाणि सहित अहमदाबाद महानगर पालिका के अधिकारी एवं पदाधिकारी तथा गांधीनगर महानगर पालिका आयुक्त श्री जे.एस. प्रजापति सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए।

उल्लेखनीय है कि साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना के फेज-2 और फेज-3 का कार्य पूरा होने पर रिवरफ्रंट की कुल लंबाई दोनों तटों को मिलाकर 40 किलोमीटर हो जाएगी। फेज-2 अंतर्गत नदी के दोनों तटों पर डफनाळा से इन्दिरा ब्रिज तक 5.50 किलोमीटर नदी क्षेत्र में (दोनों तटों पर कुल 11 किलोमीटर) रिवरफ्रंट विकसित करने की योजना बनाई गई है। साबरमती रिवरफ्रंट परियोजना के फेज-3 अंतर्गत नदी के दोनों तटों पर इन्दिरा ब्रिज से नर्मदा मुख्य नहर तक 5 किलोमीटर नदी क्षेत्र में दोनों तटों को मिलाकर कुल 10 किलोमीटर तक विकास कार्य करने की योजना है।

छह लेन का बैराज-कम-ब्रिज स्वचालित नियंत्रण प्रणाली से संचालित होगा। 3.5 मीटर ऊँचाई वाले एयर-फिल्ड रबर टाइप विशेष बैराज के माध्यम से गांधीनगर की ओर रिवरफ्रंट में पानी भरा रहेगा। यह गुजरात का इस प्रकार का पहला बैराज-कम-ब्रिज होगा।

रिवरफ्रंट के नए फेज में नदी के दोनों तटों पर ग्रीन जोन, अलग-अलग स्तरों पर वृक्षारोपण, बच्चों के लिए प्ले एरिया, फूड प्लाजा, कला एवं संस्कृति तथा स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों के लिए सुविधाएँ और लोगों के बैठने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यवस्था की जाएगी।

रिवरफ्रंट परियोजना का कार्य गुजरात सरकार के शहरी विकास एवं शहरी आवास निर्माण विभाग तथा साबरमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल मेमनगर में जलाराम बापा की 227वीं जयंती महोत्सव में सहभागी हुए

मुख्यमंत्री ने जलाराम बापा के दर्शन किए



गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल सोमवार को अहमदाबाद के मेमनगर क्षेत्र में गुणातीत नगर के पास, विवेकानंद चौक, गुरुकुल में आयोजित पूज्य श्री जलाराम बापा के 227वें जयंती महोत्सव में विशेष रूप से उपस्थित रहे।

सेवा सीनियर सिटीजन ग्रुप, मेमनगर द्वारा आयोजित इस पावन अवसर पर मुख्यमंत्री ने संत श्री जलाराम बापा के भावपूर्ण दर्शन कर पूजा-अर्चना की तथा राज्य की सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने शोभायात्रा में उपस्थित सभी ज्ञातियों के श्रद्धालुओं एवं नगरवासियों का अभिवादन स्वीकार करते हुए जलाराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ दीं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री का समाज के अग्रणियों और सीनियर सिटीजन ग्रुप द्वारा स्वागत एवं सम्मान किया गया।

इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सेवा सीनियर सिटीजन ग्रुप, मेमनगर के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कार्यकारिणी सदस्यों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और स्थानीय निवासी उत्साहपूर्वक शामिल हुए।

इस भव्य शोभायात्रा और जयंती महोत्सव में समाज के कार्यकर्ता, लोहाणा समाज के अग्रणी, स्थानीय पार्षद सहित महानुभाव उपस्थित रहे।

बिलकिस बानो मामले में दो दोषियों को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

नई दिल्ली। गुजरात के चर्चित बिलकिस बानो सामूहिक दुष्कर्म और हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उम्रकैद की सजा काट रहे दो दोषियों को जमानत दे दी है। शीर्ष अदालत ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। अदालत ने इस फैसले में इस तथ्य पर गौर किया कि दोनों दोषी 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से दिव्यांग है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दोनों दोषियों की रिहाई ट्रायल कोर्ट की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार होगी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने दोषियों बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया की ओर से दाखिल याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। इस फैसले के साथ ही बिलकिस बानो मामले में दोषियों की सजा, जेल में बिताई गई अवधि और जमानत से जुड़े कानूनी पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं।

दोनों दोषियों ने बॉम्बे हाईकोर्ट के वर्ष 2017 के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में उनकी उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद से दोनों दोषी जेल में सजा काट रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने उनकी जेल में बिताई गई लंबी अवधि और एक दोषी की शारीरिक स्थिति को जमानत देने के पक्ष में महत्वपूर्ण आधार के रूप में पेश किया। वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने दोषियों की ओर से दलील रखते हुए अदालत को बताया कि दोनों 17 साल से अधिक समय जेल में गुजार चुके हैं। उनके अनुसार, इतने लंबे समय तक कारावास में रहने के तथ्य पर जमानत के सवाल पर विचार करते समय ध्यान दिया जाना चाहिए। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने एक दोषी के मामले से जुड़ा एक अलग तथ्य भी अदालत के सामने रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि संबंधित दोषी का नाम घटना के समय दर्ज एफआईआर में शामिल नहीं था और उसे घटना के लगभग तीन साल बाद आरोपी बनाया गया था। बचाव पक्ष ने इस तथ्य को भी अपनी दलील का हिस्सा बनाया। इसके साथ ही एक अन्य दोषी की गंभीर दिव्यांगता का उल्लेख करते हुए उसकी शारीरिक स्थिति पर अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया। बचाव पक्ष का तर्क था कि दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि और उनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता को देखते हुए उन्हें जमानत देने पर विचार किया जाना चाहिए। अदालत ने इन दलीलों और मामले से जुड़े तथ्यों पर विचार करने के बाद उनकी सजा निलंबित करने का आदेश दिया।

हालांकि, केंद्र सरकार ने दोनों दोषियों को राहत दिए जाने का विरोध किया। केंद्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने अदालत में कहा कि इस मामले में निचली अदालत और बॉम्बे हाईकोर्ट पहले ही उपलब्ध साक्ष्यों का परीक्षण कर चुके हैं। दोनों अदालतों ने मामले से जुड़े तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद दोषियों की उम्रकैद की सजा बरकरार रखी थी। केंद्र सरकार की ओर से अपराध की गंभीरता का हवाला देते हुए दलील दी गई कि यह मामला सामूहिक दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराधों से संबंधित है। ऐसे में दोषियों को जमानत देने से पहले अपराध की प्रकृति और उसकी गंभीरता को विशेष रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए। सरकार ने इसी आधार पर जमानत याचिकाओं का विरोध किया।

सुनवाई के दौरान अदालत के सामने एक ओर दोषियों की ओर से 17 साल से अधिक समय जेल में बिताने और गंभीर दिव्यांगता का आधार रखा गया, तो दूसरी ओर केंद्र सरकार ने अपराध की गंभीरता तथा पहले से आए न्यायिक फैसलों का उल्लेख किया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दोनों दोषियों की सजा निलंबित करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश दिया। अदालत ने उनकी रिहाई को ट्रायल कोर्ट की ओर से तय की जाने वाली शर्तों के अधीन रखा है। इसका अर्थ है कि जमानत मिलने के बावजूद दोनों दोषियों को निर्धारित कानूनी औपचारिकताओं और शर्तों का पालन करना होगा। यह आदेश उनकी उम्रकैद की सजा को समाप्त करने वाला फैसला नहीं है, बल्कि सुनवाई के दौरान अदालत ने उनकी सजा निलंबित कर जमानत प्रदान की है।

बिलकिस बानो मामला वर्ष 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों के दौरान सामने आया था। इस मामले में बिलकिस बानो के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया था और उनके परिवार के कई सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था। मामले की जांच, मुकदमे और दोषियों को सजा दिलाने की प्रक्रिया लंबे समय तक चली। मुकदमे की निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मामले को गुजरात से महाराष्ट्र स्थानांतरित किया गया था। मुंबई की विशेष अदालत ने वर्ष 2008 में इस मामले में 11 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। बाद में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दोषियों की सजा को बरकरार रखा था। इसके बाद दोषियों की ओर से अलग-अलग स्तरों पर कानूनी राहत के लिए प्रयास किए जाते रहे।

इसी मामले में 15 अगस्त 2022 को गुजरात सरकार ने अपनी सजा पूरी होने से पहले ही सभी 11 दोषियों को रिहा करने का निर्णय लिया था। इस फैसले के बाद देशभर में व्यापक चर्चा हुई और रिहाई के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। याचिकाओं में गुजरात सरकार के अधिकार क्षेत्र और समयपूर्व रिहाई के निर्णय की वैधता पर सवाल उठाए गए थे। मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2024 को गुजरात सरकार के 15 अगस्त 2022 के रिहाई आदेश को रद्द कर दिया था। शीर्ष अदालत ने सभी 11 दोषियों को वापस जेल जाने का निर्देश दिया था। अदालत ने अपने फैसले में समयपूर्व रिहाई से जुड़े निर्णय की कानूनी प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र के पहलुओं पर विचार किया था। इस फैसले के बाद सभी 11 दोषियों को दोबारा जेल जाना पड़ा था। अब बिपिनचंद्र जोशी और प्रदीप मोधिंया को जमानत मिलने के बाद इस मामले ने एक बार फिर कानूनी और सामाजिक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। इस बार अदालत के सामने दोनों दोषियों की लंबी जेल अवधि और उनमें से एक की गंभीर दिव्यांगता प्रमुख आधार के रूप में रखी गई। वहीं, केंद्र सरकार ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए राहत का विरोध किया। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सजा निलंबित करने का फैसला किया और रिहाई को ट्रायल कोर्ट की शर्तों से जोड़ दिया। इस प्रकार जमानत मिलने के बावजूद दोषियों की उम्रकैद की सजा पर अंतिम स्थिति नहीं बदली है। अदालत का आदेश केवल उन्हें निर्धारित शर्तों के तहत जेल से बाहर आने की अनुमति देता है। बिलकिस बानो मामले में यह नया घटनाक्रम एक बार फिर यह स्पष्ट करता है कि किसी गंभीर आपराधिक मामले में जमानत, सजा निलंबन और समयपूर्व रिहाई अलग-अलग कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जिनके आधार और प्रभाव भी अलग होते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने भावनगर मंडल के विभिन्न स्टेशनों एवं रेलखंडों का किया विस्तृत निरीक्षण

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा द्वारा 13 एवं 14 नवंबर, 2026 को धोला, लूणीधार, कुंकावाव, वडिया देवली, जेतलसर, धोराजी, उपलेटा, जाम जोधपुर, पोरबंदर, वेरावल एवं सोमनाथ रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं, स्वच्छता, संरक्षा एवं रेल परिचालन व्यवस्थाओं का जायजा लिया।

इस संबंध में वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने धोला, लूणीधार, कुंकावाव, वडिया देवली, जेतलसर एवं धोराजी स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को और बेहतर बनाने, प्लेटफॉर्म एवं स्टेशन परिसरों की स्वच्छता, पेयजल एवं शौचालय सुविधाओं तथा आवश्यक मरम्मत एवं रखरखाव कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्लेटफॉर्म के विकास, प्रकाश व्यवस्था, संकेतक बोर्ड एवं यात्रियों की सुरक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा की।

उन्होंने जाम जोधपुर में निर्माणाधीन फुट



ओवर ब्रिज (FOB), सोमनाथ स्टेशन पर चल रहे विकास कार्यों तथा वेरावल में यार्ड रीमॉडलिंग, प्लेटफॉर्म विस्तार एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग (EI) भवन (स्टेशन मास्टरों के लिए निर्माणाधीन नए भवन) के कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी प्रगतिरत कार्यों में तेजी लाकर उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

धोला से पोरबंदर रेलखंड के विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण के दौरान रेलपथ, समपार फाटकों, पुलों एवं अन्य रेलवे अवसंरचनाओं की स्थिति का भी जायजा लिया गया। संबंधित अधिकारियों को संरक्षा मानकों के अनुरूप आवश्यक सुधार एवं रखरखाव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने अधिकारियों को यात्री सुविधाओं में निरंतर वृद्धि, स्वच्छता के उच्च मानकों को बनाए रखने, यात्रियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करने तथा रेलवे की आधारभूत संरचनाओं के बेहतर रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

इस दौरान मंडल रेल प्रबंधक ने वेरावल में GHCL के प्रतिनिधि के साथ बैठक कर संबंधित विषयों पर चर्चा भी की। निरीक्षण में मंडल के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी एवं संबंधित पर्यवेक्षक उपस्थित रहे।

कोलंबो: DFCCIL की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता को अंतरराष्ट्रीय सम्मान,DFCCIL को मिला FIDIC एशिया-पैसिफिक अवार्ड

नोएडा। भारत के 'डेडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर' को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिली है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (DFCCIL) को श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित FIDIC एशिया-पैसिफिक सम्मेलन में प्रतिष्ठित FIDIC एशिया-पैसिफिक प्रोजेक्ट अवार्ड 2026 की लार्ज प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मानित किया गया। यह सम्मान पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के विशाल नेटवर्क, आधुनिक इंजीनियरिंग, तकनीकी उत्कृष्टता तथा देश की लॉजिस्टिक्स व्यवस्था को मजबूत बनाने में DFCCIL के योगदान को दर्शाता है। इसके लिए DFCCIL के प्रबंध निदेशक (MD) श्री आलोक तिवारी को सोमवार को अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में सम्मानित किया गया। उनके साथ श्री पवन कुमार, कार्यकारी निदेशक (ED), भी शामिल रहे।

बडे प्रोजेक्ट की श्रेणी में मिला अवार्ड



DFCCIL को कोलंबो में FIDIC एशिया-पैसिफिक प्रोजेक्ट अवार्ड 2026 की लार्ज प्रोजेक्ट श्रेणी में सम्मान मिला। यह पुरस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय इंजीनियरिंग समुदाय की ओर से है, जिसे बड़ी परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें पूरा करने का व्यापक अनुभव है।

यह पुरस्कार डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के आधुनिक इंजीनियरिंग, विद्युतीकृत डबल-ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, गतिशील आवाजाही और लॉजिस्टिक सेक्टर में तेजी से सुधार के लिए मिला। तकरीबन 1.24 लाख करोड़ रुपये की लागत से विकसित 2,843 किलोमीटर लंबे इन कॉरिडोरों में माल ढुलाई की क्षमता बढ़ाई गई है। EDFC लुधियाना से सोननगर तक 1,337 किलोमीटर और WDFC दादरी से जवाहरलाल नेहरू पोर्ट तक 1,506 किलोमीटर लंबा है। यह सम्मान भारत की रेल माल परिवहन क्षमता और विश्व स्तर पर रेल इंजीनियरिंग उपलब्धि को रेखांकित करता है।

डीएफसी औद्योगिक क्षेत्रों, उत्पादन केंद्रों, फ्रेट टर्मिनलों और भारत के मुख्य बंदरगाहों को जोड़ता है। इस कॉरिडोर पर 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से 1,500 मीटर तक लंबी और भारी मालगाड़ियां दौड़ाई जा सकती हैं। इस परियोजना से देश में आज माल परिवहन तेज और सुगम हो रहा है, परिवहन समय तेजी से घट रहा है और भंडारण लागत गिर रही है। कच्चे माल और तैयार उत्पादों की बेहतर आपूर्ति से उद्योग, खनन, कृषि और व्यापार को उल्लेखजनक बढ़ावा मिल रहा है। बंदरगाहों से बेहतर कनेक्टिविटी निर्यात-आयात को गति मिल रही है, वहीं नए टर्मिनल और वेयरहाउस निवेश व रोजगार के नए अवसर गढ़ रहे हैं। साथ ही, मालगाड़ियों के अलग और विशेष ट्रैक पर सरपट दौड़ने से मौजूदा रेल मार्गों पर यात्री रेलगाड़ियों की समयबद्धता में तेजी से सुधार आ रहा है।

DFCCIL ने अपने प्रमुख अनुबंधों में जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से निर्धारित करने और समुचित अनुबंध प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए FIDIC की 1999 की येलो बुक के मापदंडों का भी उपयोग किया है।

FIDIC का अंतरराष्ट्रीय महत्व

वर्ष 1913 में स्थापित इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स (FIDIC) परामर्शदाता इंजीनियरों के राष्ट्रीय संघों का विश्व स्तरीय संगठन है। इसके नेटवर्क में करीब 100 देशों के 10 लाख से अधिक इंजीनियरिंग पेशेवर और लगभग 40,000 कंपनियां शामिल

धोलेरा SIR में आधुनिक शहरी सुविधाओं का तेजी से विस्तार : अस्पताल, होटल, स्कूल और व्यावसायिक परियोजनाएं ले रहीं आकार

VGGS 2027 में निवेश के मुख्य डेस्टीनेशन में से एक रहेगा धोलेरा SIR,भारत की पहली सेमीकॉन सिटी : जहां विकास, निवेश और बेहतर जीवन सुविधाओं के लिए तैयार हो रहा व्यापक परितंत्र



गांधीनगर : भारत की पहली उभरती सेमीकॉन सिटी के रूप में धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन (D-SIR) अपनी पहचान मजबूत करने के बाद अब औद्योगिक विकास के साथ-साथ विश्वस्तरीय भौतिक, आर्थिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाओं के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे स्वास्थ्य सेवाओं, आतिथ्य सत्कार, शिक्षा और शहरी सुविधाओं के क्षेत्र में निवेश के महत्वपूर्ण अवसर के द्वार खुल रहे हैं।

गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्रभाई पटेल धोलेरा SIR में जारी परियोजनाओं पर नजर बनाए हुए हैं। प्रमुख औद्योगिक, सामाजिक और शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाती है। यह गुजरात सरकार की उस प्रतिबद्धता का हिस्सा है जिसके तहत उद्योगों, निवेशकों, पेशेवरों और स्थानीय निवासियों की जरूरतों को पूरा करने वाला एक समग्र पारिस्थितिकी तंत्र विकसित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने हालिया समीक्षा के दौरान धोलेरा के एक्टिवेशन एरिया में विकसित की जा रहीं महत्वपूर्ण सामाजिक बुनियादी सुविधाओं की प्रगति का आकलन किया। सामाजिक बुनियादी ढांचे में 200 बिस्तरों वाला मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल, एकीकृत स्कूल, अग्निशमन केंद्र, होटल, गेस्ट हाउस, फूड कोर्ट, टेंट सिटी तथा आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं शामिल हैं। इस समीक्षा में मुख्यमंत्री के पिछले दौरे के बाद से हुई उल्लेखनीय प्रगति स्पष्टता के साथ रेखांकित हुई। यह भी इंगित हुआ कि धोलेरा एक आत्मनिर्भर शहरी और औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

धोलेरा में आतिथ्य सत्कार से जुड़ी कई परियोजनाएं पूर्णता के करीब हैं। इनमें सुइट और कॉन्फ्रेंस सुविधाओं से युक्त 42 कमरों का गेस्ट हाउस, लगभग 600 लोगों को एक साथ भोजन परोसने की क्षमता वाला फूड कोर्ट और 50 टेंट वाली टेंट सिटी शामिल हैं। जल्द ही इन सुविधाओं के कार्यरत होने की उम्मीद है। ये सुविधाएं कार्यरत होने से धोलेरा की देश-विदेशों से आने वाले निवेशकों, उद्यमियों, कारोबारी प्रतिनिधिमंडलों और अन्य आगंतुकों का आतिथ्य-सत्कार करने की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।

बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश परियोजनाओं के आकार लेने के साथ आने वाले वर्षों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं और आतिथ्य सुविधाओं की मांग में भी काफी वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रस्तावित मल्टी-स्पेशियलिटी अस्पताल और होटल परियोजनाएं प्रमुख स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, अस्पताल श्रृंखलाओं और आतिथ्य क्षेत्र के विकासकर्ताओं के लिए निवेश हेतु स्वर्णिम अवसर के समान हैं। ऐसे संस्थानों के लिए यह भारत के तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक तंत्र में शुरुआती दौर से अपनी उपस्थिति स्थापित करने का अवसर है।

धोलेरा में विकास को गति देने वाली प्रमुख परियोजनाओं में टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स की सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन फैसिलिटी शामिल है, जो भारत के सबसे महत्वपूर्ण सेमीकंडक्टर निवेशों में से एक है। इस फैब्रिकेशन प्लांट से सेमीकंडक्टर विनिर्माण, सहायक उद्योगों, प्रौद्योगिकी कंपनियों, अनुसंधान संस्थानों, कुशल पेशेवरों और सहयोगी सेवाओं का व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र विकसित होने का मजबूत आधार तैयार हो रहा है। इतना ही नहीं इससे मजबूत शहरी बुनियादी ढांचे और उच्च गुणवत्ता वाली सामाजिक सुविधाओं की मांग को भी बढ़ावा मिलेगा। धोलेरा औद्योगिक विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संरक्षण-संतुलन व स्थिरता की दिशा में भी अग्रसर है। वन विभाग और सद्भावना ट्रस्ट के सहयोग से चलाए गए बड़े पौधरोपण अभियान के तहत एक्टिवेशन एरिया में 53 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 1.11 लाख पौधे लगाए गए हैं। पौधों के जीवित रहने की दर बढ़ाने और शहर में हरित क्षेत्र का विस्तार करने के लिए ड्रम में पौधरोपण की नई तकनीक की भी मदद ली जा रही है, जो कि धोलेरा की जलवायु के अनुरूप तैयार की गई है।

बेहतर कनेक्टिविटी से धोलेरा में निवेश की संभावनाएं और मजबूत हो रही हैं। अहमदाबाद-धोलेरा एक्सप्रेसवे कार्यरत हो चुका है, जिससे इस क्षेत्र तक पहुंचना एवं आवागमन बहुत सुविधाजनक हुआ है। इसी क्रम में धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2026 के अंत तक सेवारत होने की उम्मीद है। इससे देश ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धोलेरा की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी।

रेल कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ रहा है। इनमें भीमनाथ-धोलेरा लॉजिस्टिक हब रेल लाइन और अहमदाबाद-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड डबल रेल लाइन शामिल हैं। ये रेलवें लाइनें धोलेरा को अहमदाबाद, धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और लोथल से सुगमता से जोड़ेंगी। इस तरह धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन क्षेत्र गुजरात और भारत के आर्थिक विकास गलियारों से और अधिक मजबूती से जुड़ सकेगा।

गुजरात में वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट (VGGS) 2027 की तैयारियां चल रही हैं। इस दौरान धोलेरा के निवेश के प्रमुख गंतव्यों में से एक के रूप में उभरने की उम्मीद है। जहां उन्नत विनिर्माण और सेमीकंडक्टर उद्योगों के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं, आतिथ्य सत्कार, शैक्षणिक संस्थानों, आवासीय परियोजनाओं, व्यावसायिक बुनियादी ढांचे और शहरी सेवाओं के क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।

धोलेरा की विकास रणनीति केवल औद्योगिक बुनियादी ढांचे तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य एक ऐसा शहर विकसित करना है जो वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी होने के साथ-साथ रहने के लिए सुविधाजनक और पर्यावरण की दृष्टि से टिकाऊ भी हो। स्वास्थ्य सुविधाओं, होटलों, आवासीय और व्यावसायिक परिसरों, शिक्षा के बुनियादी ढांचे, सार्वजनिक सुरक्षा सेवाओं और हरित क्षेत्रों का समानांतर विकास एक जीवंत शहरी परितंत्र की नींव रख रहा है। यह पारिस्थितिकी तंत्र दीर्घकालीन आर्थिक विकास के साथ-साथ बेहतर जीवन स्तर का भी आधार बनेगा।

औद्योगिक, सामाजिक और कनेक्टिविटी से जुड़ा बुनियादी ढांचा एक साथ विकसित होने से धोलेरा धीरे-धीरे एक आदर्श स्मार्ट औद्योगिक शहर और भारत की पहली सेमीकॉन सिटी के रूप में तेजी से आकार ले रहा है। भारत की प्रौद्योगिकी आधारित विकास यात्रा के अगले चरण में भागीदारी करने के इच्छुक निवेशकों, कारोबारियों और संस्थानों के लिए यहां व्यापक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर सूचना निदेशालय की ओर से 'पत्रकारिता : लोकलुभावन या जवाबदेह' विषय पर सेमिनार का आयोजन



गांधीनगर : 16 नवंबर को 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' के अवसर पर सूचना निदेशालय, गांधीनगर की ओर से 'पत्रकारिता : लोकलुभावन या जवाबदेह' विषय पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। सूचना निदेशक श्री जी.टी. पंड्या की अध्यक्षता में आयोजित इस सेमिनार में बतौर वक्ता गुजरात के अग्रणी अखबार 'संदेश' के संपादक श्री अजयभाई नायक और लोकप्रिय पत्रिका 'चित्रलेखा' के वेब एडिटर श्री केतनभाई त्रिवेदी मौजूद रहे।

सेमिनार की अध्यक्षता करते हुए सूचना निदेशक श्री जी.टी. पंड्या ने कहा कि समाचार सामग्री लोकलुभावन या मनोरंजक हो सकती है, लेकिन इसमें सत्य के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। श्री पंड्या ने न्यू मीडिया के दौर में प्रशासन के समक्ष मौजूद चुनौतियों पर बात करते हुए कहा कि आज के डिजिटल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) के दौर में सूचना की प्रामाणिकता की जांच करना प्रशासन के लिए सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य बन गया है।

उन्होंने गुजरात के जनसंचार माध्यमों की प्रशंसा करते हुए कहा कि गुजरात के अखबारों और पत्रिकाओं ने अपने विशेष परिशिष्टों के जरिए पाठकों के दिल में एक विशिष्ट स्थान बनाया है। उन्होंने सूचना विभाग के अधिकारियों को जनसंचार माध्यमों के आधुनिक रुझानों को समझते हुए सटीक और प्रामाणिक सूचना या जानकारी समाज तक पहुंचाने का अनुरोध किया।

'संदेश' के संपादक श्री अजय नायक ने पत्रकारिता के मौजूदा रुझानों और चुनौतियों पर रोशनी डालते हुए कहा कि बदलते दौर के साथ अखबारों के पाठकों की संख्या घट रही है। ऐसे में, नई पीढ़ी अखबारों से विमुख न हो, इसके लिए अखबारों ने भी समय के अनुरूप लोकरंजक दृष्टिकोण अपनाया है। उन्होंने आगे कहा कि अखबार अब केवल नीरस या गंभीर समाचार देने के बजाय समाचार को मनोरंजक तरीके से प्रस्तुत करते हैं।

श्री नायक ने कहा कि गुजरात सरकार का सूचना विभाग उत्तरदायित्वपूर्ण पत्रकारिता करता है, लेकिन यदि समाचार सामग्री को अधिक आकर्षक, रोचक और लोकभोग्य (आम जनता की रुचि, समझ और आवश्यकता के अनुरूप सरल और उपयोगी) बनाया जाए, तो यह अधिक पाठकों तक पहुंच सकता है।

पत्रकारिता में मनोरंजन और जवाबदेही के बारे मंज अपने विचार व्यक्त करते हुए 'चित्रलेखा' के वेब-एडिटर श्री केतन त्रिवेदी ने कहा कि लोकलुभावनता और जवाबदेही, दोनों परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक-दूसरे के पूरक हैं। इस संबंध में उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए। उन्होंने पत्रकारिता में नैतिक मूल्यों पर जोर देते हुए कहा कि पेशेवर पत्रकारिता में नैतिकता लोकरंजन और जवाबदेही के बीच महीन रेखा को स्पष्ट करती है। उन्होंने 26/11 के मुंबई ताज के आतंकी हमले और इजरायल के चुनावों की मीडिया कवरेज का उदाहरण देते हुए कहा कि टीआरपी और व्यूअरशिप की दौड़ में मीडिया के लिए संयम और मर्यादा बनाए रखना अत्यंत जरूरी है। उन्होंने यह भी साफ किया कि सोशल मीडिया के कारण टेलीविजन और प्रिंट मीडिया पर तेजी से और वायरल कंटेंट देने का दबाव बढ़ गया है। उन्होंने इस संदर्भ में जनजागरूकता पर बल देते हुए कहा कि पाठकों की सजगता-जागरूकता ही जनसंचार माध्यमों को अधिक जिम्मेदार बनाती है। सेमिनार की शुरुआत में उप सूचना निदेशक श्री चिंतन रावल ने उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों और अधिकारियों का शाब्दिक स्वागत किया। इस अवसर पर उप सूचना निदेशक श्री नित्या त्रिवेदी और श्री लालजी चावड़ा ने 'राष्ट्रीय प्रेस दिवस' विषय पर अपने विचार व्यक्त किए।

इस सेमिनार में अपर सूचना निदेशक श्री संजय कचोट, संयुक्त सूचना निदेशक श्री अमित गढ़वी सहित कई अधिकारियों ने मौजूद रहकर सूचना निदेशालय के संपादन एवं प्रचार-प्रसार के कामकाज से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को मार्गदर्शन दिया।

वडनगर की पवित्र धरा पर 'विश्वशांति महायज्ञ' : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने यज्ञशाला के दर्शन कर धन्यता की अनुभूति की



गांधीनगर : ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी वडनगर की पवित्र भूमि पर लोककल्याण के उद्देश्य से आयोजित 'विश्वशांति महायज्ञ' के छठे दिन सोमवार को गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने उपस्थित रहकर धन्यता की अनुभूति की। मुख्यमंत्री ने श्री कांची कामकोटी पीठाधीपति जगदगुरु पूज्य श्री शंकर विजयेन्द्र सरस्वती शंकराचार्य स्वामी जी के मंगल सान्निध्य में चल रहे इस अनुष्ठान में भाग लिया और यज्ञशाला के दर्शन किए।

वेदमंत्रों के पावन घोष से गुंजायमान वातावरण में मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर राज्य की सुख-शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। आध्यात्मिकता और जनसेवा के उम्दा उद्देश्य के साथ आयोजित इस महायज्ञ के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी जी के साथ शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री ने पूज्य स्वामी जी के आशीर्वाद प्राप्त किए और जनकल्याण के अपने संकल्प को दोहराया। श्रद्धा और भक्तिमय इस वातावरण में मुख्यमंत्री ने यज्ञ की पवित्र ऋचाओं के गान के बीच दिव्यता की अनुभूति की।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वामी जी के करकमलों से प्रसाद ग्रहण किया।

वडनगर की पवित्र धरा पर आयोजित इस धार्मिक महोत्सव में मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने वडनगर के अधिष्ठाता देव भगवान हाटकेश्वर महादेव के मंदिर में श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना की। उन्होंने महादेव के दर्शन किए और समग्र गुजरात की जनता के कल्याण, शांति और निरंतर प्रगति के लिए मंगलकामना की। मुख्यमंत्री की इस आस्थापूर्ण उपस्थिति से वडनगर का ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व और अधिक उजागर हुआ।

वडनगर में चल रहे इस विश्वशांति महायज्ञ में मुख्यमंत्री की प्रेरक उपस्थिति ने उपस्थित भक्तों और श्रद्धालुओं में अनूठे उत्साह का संचार किया।

मंत्रोच्चार और यज्ञ की आहुतियों से पवित्र बने इस स्थल पर मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक शक्ति के दर्शन कर गुजरात के विकास और कल्याण के अपने संकल्प को और मजबूत किया। यह अवसर आध्यात्मिक चेतना और शासकीय कर्तव्य के संगम के समान बन गया।

इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री कांतिलाल अमृतिया, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री नितिनभाई पटेल, राज्य सभा सांसद श्री मयंकभाई नायक, मेहसाणा के विधायक श्री मुकेशभाई पटेल, खेरालू के विधायक श्री सरदारभाई चौधरी, अग्रणी श्री गिरीशभाई राजगोर, स्थानीय पदाधिकारियों और अग्रणियों सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे।

भावनगर मंडल के जूनागढ़–शापुर रेलखंड पर रेलवे फाटक संख्या 82X पर सड़क सतह की मरम्मत का कार्य 17 नवंबर की रात्रि में होगा

पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के अंतर्गत जूनागढ़–शापुर रेलखंड पर रेलवे फाटक संख्या 82X (चौबारी मधुरम बायपास), रेलवे किलोमीटर 106/4-5 पर सड़क सतह की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। यह कार्य दिनांक 17 नवंबर 2026 को रात्रि 22:00 बजे से 18 नवंबर 2026 को सुबह 03:00 बजे तक निर्धारित किया गया है।

इस मरम्मत कार्य का उद्देश्य सड़क की सतह को बेहतर बनाने के साथ-साथ सड़क एवं रेल यातायात की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। कार्य को सुरक्षित एवं सुचारु रूप से संपन्न करने के लिए उक्त अवधि के दौरान रेलवे फाटक संख्या 82X पर सड़क यातायात के लिए आवागमन पूर्णतः बंद रहेगा।

रेलवे प्रशासन द्वारा वाहन चालकों एवं आम नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इस दौरान वाहन चालक रेलवे फाटक संख्या 83 (चौबारी गांव फाटक) का उपयोग कर सकते हैं। वहीं, छोटे वाहनों के आवागमन के लिए झाँझेडा पुल का उपयोग किया जा सकता है।

रेलवे प्रशासन ने आम नागरिकों एवं वाहन चालकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें तथा यातायात एवं सुरक्षा संबंधी निर्देशों का पालन करें।

रेलवे प्रशासन यात्रियों एवं आमजन की सुरक्षा और बेहतर यातायात सुविधाओं के लिए प्रतिबद्ध है। इस आवश्यक मरम्मत कार्य को समयबद्ध एवं सुरक्षित रूप से पूरा करने में नागरिकों का सहयोग अपेक्षित है।

केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने गुजरात के पहले ग्रीन रेलवे स्टेशन एकता नगर का किया दौरा



केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने दिनांक 16 नवम्बर 2026 को भारत के सबसे सुंदर और आधुनिक रेलवे स्टेशनों में से एक तथा गुजरात के पहले "ग्रीन रेलवे स्टेशन" एकता नगर का दौरा किया। श्री सोमन्ना ने रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण कर स्वच्छता, आधुनिक सुविधाओं एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी से जुड़ी विस्तृत जानकारी प्राप्त की। एकता नगर स्टेशन पर निरीक्षण के बाद माननीय रेल राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना जी ने वडोदरा मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके के साथ एकता नगर - प्रतापनगर खंड का विंडो ट्रेलिंग निरीक्षण भी किया। निरीक्षण के दौरान, उन्होंने रेल पटरियों की सुरक्षा और परिचालन दक्षता की समीक्षा की। साथ ही उन्हें ट्रैक सेफ्टी एवं परिचालन दक्षता के साथ चल रही विकास परियोजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई।

मंडल रेल प्रबंधक श्री राजू भडके ने केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना को दौरे के दौरान देश के अन्य भागों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाने के लिए वडोदरा मंडल पर चल रही विभिन्न परियोजनाओं और त्योहारी सीजन में यात्रियों की सुविधा के लिए विशेषकर उत्तर और दक्षिण भारत के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेनों एवं क्राउड मैनेजमेंट के प्रयासों की जानकारी भी दी। प्रतापनगर स्टेशन पर केंद्रीय रेल एवं जल शक्ति राज्य मंत्री श्री वी. सोमन्ना ने यात्रिओं के संवाद भी किया और उनसे यात्री सुविधाओं का फीडबैक भी लिया।

18 नवंबर को अहमदाबाद से गोरखपुर के बीच चलेगी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन



पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए उनकी सुविधा के लिए अहमदाबाद और गोरखपुर के बीच विशेष किराये पर साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही है। इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09439/09440 अहमदाबाद–गोरखपुर–अहमदाबाद स्पेशल (साप्ताहिक)

ट्रेन संख्या 09439 अहमदाबाद–गोरखपुर स्पेशल प्रत्येक बुधवार, दिनांक 18 नवंबर 2026 को अहमदाबाद से 01:00 बजे प्रस्थान करेगी और गुरुवार को 06:45 बजे गोरखपुर पहुंचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09440 गोरखपुर–अहमदाबाद स्पेशल प्रत्येक गुरुवार, दिनांक 19 नवंबर 2026 को गोरखपुर से 10:50 बजे प्रस्थान करेगी और शुक्रवार को 14:00 बजे अहमदाबाद पहुंचेगी।

यह ट्रेन दोनों दिशाओं में आणंद, छायापुरी, गोधरा, रतलाम, नागदा, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना, ईदगाह आगरा, टूंडला, इटावा, कानपुर सेंट्रल, ऐशबाग, बाराबंकी, गोंडा एवं बस्ती स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में स्लीपर श्रेणी तथा सामान्य श्रेणी के कोच रहेंगे।

ट्रेन संख्या *09439* के लिए *आरक्षण 17 नवंबर, 2026* को सुबह 08:00 बजे से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों पर शुरू होगा। ट्रेन के ठहराव, समय एवं कोचों की संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा पत्रकारिता परिसंवाद का मुंबई में सफल आयोजन



मुंबई। हिंदी पत्रकारिता के भीष्म पितामह कहलाने वाले पंडित बाबूराव विष्णू पराड़कर की जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी द्वारा एक दिवसीय पत्रकारिता परिसंवाद का सफल आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न वक्ताओं द्वारा पंडित पराड़कर जी के आदर्शों और शिक्षाओं पर अमल करने की ज़रूरत पर बल दिया गया।

यह यादगार परिसंवाद विले पार्ले, मुंबई स्थित मिठी बाई कॉलेज के जुहू जागृति सभागार में रविवार, 15 नवम्बर, 2026 की शाम आयोजित किया गया। दीप प्रज्ज्वलन, वंदे मातरम और महाराष्ट्र राज्य गीत की प्रस्तुतियों के साथ शुरू हुए इस परिसंवाद में विशिष्ट अतिथि के रूप में फिल्म सिटी के पूर्व उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ राजनेता अमरजीत मिश्र ने कहा कि पंडित बाबूराव विष्णू पराड़कर जी के दूरदर्शी विचार आज भी प्रासंगिक हैं और देश के वर्तमान पत्रकारों को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिये। स्वदेश समाचार पत्र समूह के समूह सम्पादक डॉ. अतुल तारे ने "आज के सूचना तंत्र में पत्रकारिता में विश्वास, एक चुनौती भी /एक अवसर भी" विषय पर रोचक और प्रभावी व्याख्यान दिया। जय महाराष्ट्र मराठी न्यूज़ चैनल के सम्पादक प्रसाद काथे ने "सोशल मीडिया के दौर में पत्रकारिता की विश्वसनीयता" विषय पर अपने सारगर्भित विचार व्यक्त किये। पुणे से आईं वरिष्ठ साहित्यकार एवं पूर्व पत्रकार श्रीमती समीक्षा तैलंग ने "हिंदी पत्रकारिता के आदर्श एवं पराडकर जी की पत्रकारिता दृष्टि" पर अपना समीक्षात्मक व्याख्यान प्रस्तुत किया। परिसंवाद का सुरुचिपूर्ण सूत्र संचालन सुपरिचित गीतकार तथा मीडिया एवं जनसम्पर्क सलाहकार गजानन महतपुरकर ने किया। प्रारम्भ में महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी के सह निदेशक एवं सदस्य सचिव सचिन निम्बालकर ने सभी गणमान्य अतिथियों का शॉल ओढ़ाकर तथा स्मृति चिन्ह एवं पुस्तकें भेंट कर स्वागत सत्कार किया। उन्होंने परिसंवाद की प्रस्तावना रखते हुए महाराष्ट्र राज्य हिन्दी साहित्य अकादमी की विभिन्न प्रमुख गतिविधियों की जानकारी दी। अंत में अकादमी के प्रतिनिधि अंकित गुप्ता ने सभी का आभार प्रकट किया। राष्ट्रगान के साथ सम्पन्न हुए इस परिसंवाद में बड़ी संख्या में विद्यार्थी, पत्रकार और साहित्य प्रेमियों की सहभागिता रही।

20 एवं 27 नवंबर को अहमदाबाद से दरभंगा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन

पश्चिम रेलवे द्वारा शीतकालीन एवं त्योहारों के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए उनकी सुविधा के लिए अहमदाबाद और दरभंगा के बीच विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 09465/09466 अहमदाबाद–दरभंगा–अहमदाबाद स्पेशल (विशेष किराया)

ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद–दरभंगा स्पेशल दिनांक 20 एवं 27 नवंबर, 2026 (शुक्रवार) को अहमदाबाद से रात 20:25 बजे प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन रविवार को प्रातः 10:30 बजे दरभंगा पहुँचेगी।

इसी प्रकार, ट्रेन संख्या 09466 दरभंगा–अहमदाबाद स्पेशल दिनांक 23 एवं 30 नवंबर, 2026 (सोमवार) को दरभंगा से प्रातः 03:00 बजे प्रस्थान करेगी और मंगलवार को शाम 16:35 बजे अहमदाबाद पहुँचेगी। यह ट्रेन मार्ग में दोनों दिशाओं में छायापुरी, रतलाम, नागदा, रामगंज मंडी, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, ईदगाह आगरा, टूंडला, गोविंदपुरी, फतेहपुर, प्रयागराज, ज्ञानपुर रोड, वाराणसी, औंड़िहार, गाजीपुर सिटी, छपरा, मुजफ्फरपुर एवं समस्तीपुर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में थर्ड एसी (3AC), स्लीपर क्लास (SL) एवं सेकंड सीटिंग (2S) कोच उपलब्ध रहेंगे।

ट्रेन संख्या 09465 के लिए आरक्षण 17 नवंबर, 2026 को सुबह 08:00 बजे से सभी यात्री आरक्षण केंद्रों पर शुरू होगा।

ट्रेन के ठहराव, समय एवं कोचों की संरचना की विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।

पश्चिम रेलवे बांद्रा टर्मिनस से छेहरटा के बीच चलाएगी सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन



यात्रियों की सुविधा तथा त्योहारी सीजन के दौरान अतिरिक्त भीड़ को कम करने के उद्देश्य से, पश्चिम रेलवे ने बांद्रा टर्मिनस से छेहरटा के बीच एक सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है।

पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस ट्रेन का विवरण निम्नानुसार है:

ट्रेन संख्या 04673 बांद्रा टर्मिनस – छेहरटा सुपरफास्ट स्पेशल:

ट्रेन संख्या 04673 बांद्रा टर्मिनस – छेहरटा सुपरफास्ट स्पेशल मंगलवार, 17 नवंबर 2026 को 10:30 बजे बांद्रा टर्मिनस से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 19:30 बजे छेहरटा पहुँचेगी।

मार्ग में यह ट्रेन बोरीवली, वापी, सूरत, भरूच, वडोदरा, रतलाम, कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, भरतपुर, मथुरा, दिल्ली सफदरजंग, पानीपत, अंबाला कैंट, लुधियाना, फगवाड़ा, जालंधर सिटी, ब्यास और अमृतसर स्टेशनों पर ठहरेगी।

इस ट्रेन में एसी 3-टियर, स्लीपर श्रेणी और सामान्य द्वितीय श्रेणी के कोच होंगे।

ट्रेन संख्या 04673 की बुकिंग सभी पीआरएस काउंटरों और आईआरसीटीसी वेबसाइट पर शुरू हो गई है। उपर्युक्त ट्रेन विशेष किराये पर स्पेशल ट्रेन के रूप में चलेगी। ट्रेनों के समय, ठहराव और कोच संरचना के संबंध में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया www.enquiry.indianrail.gov.in पर जाकर अवलोकन कर सकते हैं।